1967

भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री

श्री दत्तोपन्त जी ठेंगड़ी (संसद सदस्य)

का

प्रेस वक्तव्य

दिनांक १० अगस्त, १९६७ की सायंकाल ६ बजे दिल्ली स्थित विट्ठल भाई पटेल भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन दिनांक १२ व १३ अगस्त, ६७ को दिल्ली में होने जा रहा है।

२३ जुलाई, १९५५ को भोपाल में हुई कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक में एक केन्द्रीय श्रम संगठन के निर्माण का प्रस्ताव लिया गया। हमें प्रारम्भ से शुरुआत करनी थी। आज भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध ५४१ यूनियनें हैं जिनकी सदस्य संख्या २,४६,९०२ है। भारतीय मजदूर संघ की ९ व्यवस्थित प्रान्तीय इकाइयां गठित की जा चुकी हैं तथा ४ अखिल भारतीय महासंघ (सुगर, इन्जीनियरिंग, टेक्सटाइल तथा रेलवे) इससे संबद्ध हैं।

नीचे की ओर से गढ़े गये इस संगठनात्मक ढाँचे की संरचना के बाद आज हम इस अधिवेशन में उसका एक राष्ट्रीय केन्द्र बनाने, संविधान पारित करने तथा विभिन्न श्रम समस्याओं (जो आज राष्ट्र के सम्मुख हैं) पर विचार करने जा रहे हैं।

आज भारतीय श्रमिकों की भौतिक आवश्यकतायें निम्न हैं:—

(१) प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रोजगार की व्यवस्था,

(२) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष छटनी की सभी योजनाओं की वापसी,

तथा (३) सभी औद्योगिक केन्द्रों के पारिवारिक-बजट की जांच के आधार पर अकुशल कर्मचारियों के वेतन की निश्चिति, इस प्रकार के न्यूनतम वेतन के अनुसार वैज्ञानिक रीति से किए गये कार्य मूल्यांकन के आधार पर विभिन्न उच्चतर वेतन–क्रमों का निर्धारण, तथा सम्पूर्ण वेतन–थैली का जीवन निर्देशांक से स्वत: सम्बद्धता। इसके लिए हम सरकार से देश के सभी आर्थिक सम्बन्धितों के एक गोलमेज अधिवेशन बुलाने का निवेदन करते हैं।

भारतीय मजदूर संघ का पूरा विश्वास है कि जब तक हम उद्योगों के स्वामित्व के ढांचों की सम्पूर्ण समस्या पर पुनर्विचार नहीं करते तब तक हमारा राष्ट्रीय वैभव पूर्णतया असम्भव है। उद्योगों के स्वामित्व के विभिन्न ढांचों की उपयोगिता समझते हुए भी हमारा आग्रह है कि उद्योगों के श्रमिकीकरण को अन्य ढांचों की अपेक्षा वरीयता देनी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ का घोष वाक्य है—श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण हो, राष्ट्र का औद्योगीकरण हो, और उद्योगों का श्रमिकीकरण हो।

यह अधिवेशन वर्तमान परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं, जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा वेतन जाम की समस्यायें सम्मिलित हैं, पर विचार करेगा। इसके अतिरिक्त यह अधिवेशन देश की सभी ट्रेड यूनियनों तथा साधन समितियों से "छंटनी विरोधी संयुक्त मोर्चा" के निर्माण के लिए साधनों पर विचार विमर्श करेगा।

भारतीय मजदूर संघ के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन

का

शुभारम्भ

नई दिल्ली स्थित पंचकुइयां रोड के कम्युनिटी हाल में १२ अगस्त, १९६७ के दिन प्रातः ९ बजे से अधिवेशन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

स्वागताध्यक्ष श्री वी० पी० जोशी के साथ श्री दादा साहेब गायकवाड़, श्री दादा साहेब काम्बले, श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी एवं श्री विनय कुमार मुखर्जी ज्यों ही अधिवेशन हाल में पधारे, भारत माता की जय के नारों व तालियों की गड़गड़ाहट से कम्युनिटी हाल में उपस्थित हजार से भी ऊपर प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया, तदुपरान्त वयोवृद्ध मजदूर नेता, उत्तर प्रदेश मजदूर संघ के अध्यक्ष व भारतीय रेलवे मजदूर संघ के प्रधान श्री विनय कुमार मुखर्जी के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण किया गया और वन्देमातरम् के पश्चात् श्री दादा मुखर्जी के आशीर्वचन से अधिवेशन का शुभारम्भ हुआ।

मंच पर उक्त नेताओं के अतिरिक्त सभी प्रदेशों व अखिल भारतीय महासंघों के अध्यक्ष व मंत्रीवर्ग विराजमान थे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश मजदूर संघ के भूतपूर्व उपाध्यक्ष व वर्तमान स्वायत्त शासन मंत्री श्री वरमेश्वर पाण्डेय व दिल्ली प्रदेश के भूतपूर्व उपाध्यक्ष व वर्तमान कार्यकारी पार्षद–श्रम विभाग श्री अमरचन्द्र शुभ भी उपस्थित थे।

श्री वी० के० मुखर्जी का आशीर्वचन

अभी ध्वजारोहण हुआ। यही गणेश पूजा है। यही विघ्नहरण करता है। यही हमारी आशा, आकांक्षा व मान्यताओं का प्रतीक है। यह ध्वज हमें जान से प्यारा है। इसके लिये हमें सर्वस्व की बाजी लगाने में हिचक नहीं है। आप सब को यही भावना लेकर चलने के लिये मैं आग्रह करता हूं तथा आप सब में बुजुर्ग होने के नाते आशीर्वाद भी देता हूं कि आपके माध्यम से भारतीय मजदूर संघ मजदूरों व देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाय।

श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी द्वारा श्री गायकवाड़ का परिचय

यह एक ऐतिहासिक अवसर है, हमारे एक अत्यन्त वयोवृद्ध सेनापति श्री मुखर्जी ने ध्वजारोहण किया है और दूसरे वयोवृद्ध सेनानी श्री दादा साहेब गायकवाड़ द्वारा उद्घाटन होने जा रहा है। आप रिपब्लिकन पार्टी के प्रधान हैं। आप ही संविधान के रचयिता डा० बाबा साहेब अम्बेदकर के दाहिने हाथ रहे हैं। आपके ही कन्धों पर कार्य का पूरा बोझ सौंपकर बाबा साहेब इस दुनियाँ से चले गये हैं। हमारी प्रार्थना पर अपना अमूल्य समय निकालकर आप यहां पधारे हैं। मैं हृदय से आभारी हूं तथा उन्हें धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। अब प्रार्थना करता हूं कि वे हमारा मार्ग दर्शन करें।

श्री दादा साहेब गायकवाड़ का उद्घाटन भाषण

नेतागण तथा कामगार भाइयों,

मुझे प्रसन्नता है कि मेरे दोस्त श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने मुझे यहां आने का अवसर दिया। जहां भी मजदूरों की समस्या रहती है। उसे

मैं खुद को समस्या मानता हूं। मैं भी मजदूर हूं और हमारे बाप दादा भी मजदूर थे। दुःखियों व मजदूरों के कष्ट को दूर करना मेरा फर्ज है। हिन्दी भाषा बोलने की कठिनाई के कारण मैं अपना भाषण पढ़कर प्रस्तुत कर रहा हूं, मुझे क्षमा करें।

भारतीय मजदूर संघ के प्रथम अधिवेशन के उद्घाटन के लिये आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सोचता रहा कि इस कार्य का दायित्व मेरे पर क्यों डाला गया होगा ? मैं स्वयं मजदूर हूं, और मेरा जीवन मजदूरों में तथा मजदूरों के लिये कार्य करने में ही बीता है। शायद यही कारण होगा कि मुझे यहाँ निमंत्रित किया गया।

आज भारत के करोड़ों मजदूर गरीबी तथा भूखमरी के शिकार बने हुए हैं। करोड़ो लोग पूर्ण बेकार हैं। वैसे ही देहातों में रहने वाले करोड़ों खेतिहर मजदूर, वर्ष में कुछ महीने तो थोड़ा सा कमाते हैं, किन्तु बाकी ६, ७ महीने बेकार ही रहते हैं। ग्रामीण अर्द्ध बेकारी का मुकाबला कैसे किया जा सकता है ?

इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि हमारी चतुर्थ-पंचवर्षीय योजना का स्वरूप वास्तविकतावादी रहे। उसके अन्तर्गत आने वाले प्रकल्प धन-प्रधान न होते हुए श्रम-प्रधान हों, जिसमें पैसे की खपत कम और पसीने की ज्यादा रहे।

मैं तो यह मांग करता हूं कि हमारे देश में पैदा हुए हर एक व्यक्ति को काम मिलना ही चाहिये। यह सरकार तथा समाज की जिम्मेवारी है। इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि संविधान के अन्तर्गत आने वाली मौलिक अधिकारों की सूची में काम करने का अधिकार भी समाविष्ट करना चाहिये। सरकार तथा समाज जिन व्यक्तियों को काम दिलाने में असमर्थ रहेंगे उनको-उनकी बेकारी की अवधि तक-बेकारी भत्ता मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये।

हमारे गांवों में अर्द्ध बेकार खेतिहर मजदूरों को पूरा समय काम देने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि जापान की तरह भारत में भी गाँव-गाँव में बिजली फैलाई जाय, बिजली के सहारे चलने वाले यन्त्र मकान-मकान में बिठाये जायें,। इन यन्त्रों के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रियाओं का विकेन्द्रीकरण किया जाय, कारखाने के स्थान पर देहातों में परिवार को ही उत्पादन का केन्द्र बनाया जाय, इससे अर्द्ध बेकारों को रोजी रोटी मिलेगी और देश का उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके लिये यह आवश्यक होगा कि हम पश्चिमी देशों की तकनीक (**Technology**) का अन्धानुकरण न करते हुए स्वयं अपने ढंग की तकनीक (**Technology**) का भारत में विकास करें।

ग्रामीण क्षेत्र में स्वस्थ तथा प्रेमपूर्ण वायुमंडल का निर्माण होना आवश्यक है। किसान, कारीगर तथा खेतिहर मजदूर तीनों की प्रगति की दृष्टि से यह आवश्यक है। दुःख की बात है कि आज प्रेम के स्थान पर विद्वेष, जातीयता तथा ऊँच-नीच भाव ही चारों ओर दिखाई देता है। देश में सामाजिक समानता तथा सामाजिक एकता का जब तक अभाव है, तब तक केवल राजनैतिक तथा आर्थिक कार्यवाहियों से सम्पूर्ण देश को ऊपर उठाना असम्भव है अतः मेरा अनुरोध है कि शताब्दियों से चलती आई सामाजिक विषमताओं को नष्ट किया जाय और समानता तथा एकता के आधार पर हम सब राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुट जाएं।

इस तरह बदले हुए वायुमंडल में खेतिहर मजदूरों की रोजी आदि की समस्याएँ आसानी से सुलझ सकती हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि भूमिसुधार अधिनियम के अनुसार हर राज्य में भूमि की अधिकतम मर्यादा तय की जाय। इसके कारण बनी हुई अतिरिक्त जमीन तथा आज उपलब्ध बंजर जमीन जोतने वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांट दी जाय। और फिर भी जो भूमिहीन ही रहेंगे उनके लिये 'न्यूनतम वेतन कानून' **[Minimum Wages Act]** लागू किया

जाय । 'न्यूनतम वेतन' तय करते समय आज की महंगाई को ख्याल में रखा जाय ।

हमारे शहरों में लाखों औद्योगिक मजदूर काम कर रहे हैं । उनमें सबसे कमजोर वर्ग वह है जिसको **Casual Labour** कहा जाता है । आश्चर्य की बात है कि सरकारी उद्योगों में भी लाखों लोगों को वर्षों तक **Casual** के नाते चलाया जाता है । यह तो **Casual** शब्द की मखौल है, और मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ है । मैं चाहूंगा कि **Casual Labour** की नौकरी तथा सेवा की शर्तों के विषय में पे कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं उनको सरकार के सभी विभाग तथा उद्योग तुरन्त कार्यान्वित करें । और वर्षों तक **Temporary** के नाते कर्मचारियों को बनाये रखने की प्रवृत्ति को भी सरकार शीघ्र त्याग दे ।

सरकारी प्रवक्ताओं ने समय समय पर ठेकेदारी पद्धति की निन्दा की है । किन्तु दुःख की बात है कि आज भी सरकारी क्षेत्र में स्थान-स्थान पर ठेकेदारी **Contract Labour** की पद्धति का अन्त नहीं हो रहा है । प्रमुख मालिक के नाते सरकार को उन मजदूरों के न्याय की पूरी जिम्मेवारी उठानी ही चाहिये ।

शारीरिक परिश्रम का काम करने वाले हमारे चतुर्थ श्रेणी के बन्धुओं की समस्या जटिलतम होती जा रही है । वे अनपढ़ हैं, इसलिये अपने अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं रखते । फिर उनके अन्दर संगठन भी प्रायः उतना मजबूत नहीं होता । इस कारण वे अधिकारियों की मनमानी का शिकार बन जाते हैं । उनके वेतन का भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि देश के सभी औद्योगिक केन्द्रों में मजदूरों के परिवारों के औसत माहवार खर्चे की जांच होनी चाहिये । इस जांच के जो परिणाम निकलेंगे उसके आधार पर न्यूनतम वेतन निश्चित करना चाहिये, जोकि **Unskilled**

Manual Worker का प्रारम्भिक वेतन माना जाय। इसी तरह उनकी सेवा की शर्तें भी ठीक ढंग से तय करने की आवश्यकता है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारी भी इसी तरह अन्याय के बोझ के नीचे दबे हुये हैं। फर्क इतना ही है कि इस श्रेणी के कर्मचारी प्रायः पढ़े लिखे होते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं, और अपना संगठन चला कर अन्याय के विरोध में आन्दोलन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कधे से कंधा लगाकर खड़े हो जाते हैं वहाँ-वहाँ कर्मचारियों की लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है।

जो अन्याय सरकारी क्षेत्र में जारी है वही निजी क्षेत्र में भी दिखाई देता है। हमारे उद्योगपति स्वार्थांध हैं। अपने देश तथा जनता का बिल्कुल ख्याल न करते हुए सबका हमेशा शोषण करने में ही अपने को कृत कृत्य मानते हैं। वैसे भी तो आज का श्रम कानून अपर्याप्त है। वह मजदूरों को पर्याप्त संरक्षण नहीं दे सकता। किन्तु जितना ही संरक्षण कानून में निहित है, उतना भी मजदूरों को मिल नहीं पाता। क्योंकि उद्योगपति कानून पर अमल नहीं करते। श्रम-अदालत के निर्णयों तथा वेतन आयोगों की सिफारिशों को ठुकरा देते हैं। कानून के अन्तर्गत खड़ी की गयी श्रम विभाग की सरकारी मशीनरी वैसे भी देर लगाने वाली है। किन्तु हर मामले में आखिर तक अ ील करने की प्रवृत्ति के कारण मालिक और भी लम्बी देर कर देते हैं, गरीब मजदूर इतनी देर तक अन्याय का मुकाबला करने में असमर्थ हो जाता है।

इन सब परिस्थितियों में मजदूर न मालिक के सहारे जीवित रह सकते हैं न सरकार के और न कानून के सहारे। स्वातन्त्र्य प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने मजदूरों को आश्वासन दिया था कि उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान दिया जायगा। और आज हम देखते हैं कि दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई के कारण मजदूरों का असली वेतन घटता ही जा रहा है और वेतन का सीधा सम्बन्ध जीवन निर्देशांक के साथ जोड़ने के लिए सरकार या मालिक तैयार नहीं है। मजदूरों के मकानों

के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अलग रखी हुई राशि प्रतिवर्ष बेकार होती है। और औद्योगिक गृह निर्माण की समस्या अधिकाधिक गम्भीर स्वरूप धारण कर रही है। मकानों के विषय में सरकार द्वारा दिए हुए आश्वासन व्यर्थ ही सिद्ध हो गये हैं। यहां कुछ उदाहरण इसके परिचायक हैं कि सरकार के आश्वासन और प्रत्यक्ष व्यवहार में सदा ही जमीन आसमान का अन्तर रहता है। कानून अपर्याप्त है। उसके अन्तर्गत आने वाली मशीनरियाँ विलम्ब करने वाली तथा प्रभावहीन है। हमारे मालिक अति स्वार्थी और मजदूर तथा राष्ट्र का हित आंखों से ओझल करने वाले हैं। अतः मजदूरों के लिए स्वयं अपना संगठन मजबूत बनाना यही एक मात्र रास्ता बच जाता है। वैसे तो मजदूरों की यूनियनें तथा एसोसिएशन कई वर्षों से चल रही हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। केन्द्रीय श्रम संस्थायें भी गठित हुई हैं। लेकिन मजदूरों को पूरा लाभ नही मिल पाया। कारण यह है कि ये संस्थाएँ प्रायः राजनैतिक स्वार्थ के लिए मजदूरों का नाजायज और दुरुपयोग कर लेती हैं। ट्रेड यूनियन याने मजदूरों की, मजदूरों द्वारा तथा मजदूरों के ही लिए चलाई गई संस्था। उसके द्वारा मजदूरों का ही कल्याण हो, न कि कुछ नेताओं का अथवा राजनैतिक दलों का। ट्रेड यूनियन के नाते मजदूरों के लिए न कोई जाति रहनी चाहिए, न कोई धर्म और न कोई राजनैतिक दल। जहाँ तक ट्रेड यूनियन का सम्बन्ध है उनकी जाति, धर्म तथा दल यह सब कुछ 'मजदूर' ही रहना चाहिए। व्यक्तिगत तथा राजनैतिक स्वार्थ के लिये ट्रेड यूनियन का उपयोग करना यही ट्रेड यूनियनिज्म सिद्धान्त के प्रतिकूल है।

बुद्धवासी डा० बाबा साहेब अम्बेदकर जी का यह आदेश था कि ट्रेड यूनियन, सही ट्रेड यूनियनिज्म के आधार पर चलाई जाय। अवसरवादी, व्यक्तिवादी, राजनैतिक तत्वों के प्रभाव से उसको मुक्त रखा जाए। लोकतंत्र के ढांचे के अन्तर्गत तथा लोकतंत्रात्मक प्रणाली से उसको चलाया जाए। लोकतंत्र तथा राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों से

उसको बचाया जाय तथा देशभक्ति की भावना के कारण समाज के अन्य विभागों के साथ राष्ट्रोद्धार के कार्य में पूरा सहयोग देने के लिए आगे बढ़ा जाए। इसी सूत्र को लेकर बुद्धवासी डा० बाबा साहेब अम्बेडकर ने कई वर्षों तक मजदूर आँदोलन का सूत्र संचालन किया था। श्रम मंत्री के नाते उन्होंने मजदूरों की जो महत्वपूर्ण सेवाएँ कीं, आप जानते ही हैं। उन्होंने श्रम मंत्री रहते हुए जो सिद्धान्त प्रतिपादन किये और जिन प्रणालियों की पहल की, उनको ही आधार मानकर आज सरकार की ओर से ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को शिक्षा–दीक्षा दी जाती है।

यह प्रसन्नता की बात है कि इसी सिद्धान्त के आधार पर कार्य करने का निश्चय करते हुए आज एक नयी संस्था निर्माण हो रही है। मैं भारतीय मजदूर संघ के सुयश की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके कार्यकर्ताओं के मन में सामाजिक समानता तथा एकता का भाव रहे, आर्थिक विषमता दूर करने का निश्चय रहे तथा राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने की सद्भावना रहे।

एक नयी संस्था के रूप में आपने मजदूर क्षेत्र में पदार्पण किया है। इसके कारण आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पुरानी संस्थाओं द्वारा की गयी गलतियों को दोहराया न जाए। आज भारत का मजदूर संकटमय परिस्थिति में है। पूर्व बताई गई समस्यायें उसके सामने हैं। उनका मुकाबला किस तरह किया जा सकता है—यह सवाल है। इस विषय में आपका यह सम्मेलन मजदूरों को उचित मार्गदर्शन करेगा तभी मजदूरों के मन में आपके विषय में एक नया विश्वास निर्माण होगा। इस तरह का मार्गदर्शन करने में भारतीय मजदूर संघ का यह अधिवेशन सफल हो—यही कामना है।

—०—०—

अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष तथा दिल्ली प्रदेश मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री वी० पी० जोशी एडवोकेट का

स्वागत भाषण

मान्यवर गायकवाड़ साहेब, ठेंगड़ी जी तथा प्रतिनिधि बन्धुओं, आप सब दूर दूर से आकर यहाँ एकत्र हुए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता पर आप लोग रोज ही मांग करते होंगे, यहाँ हम आपको रोटी और मकान देंगे। हम आपकी सेवा करने का यत्न करेंगे। हो सकता है मैं आपको पूर्ण संतुष्ट न कर पाऊँ, फिर भी भरसक प्रयास करूंगा। आपको दिल्ली का भी परिचय करा देना जरूरी है। यह राजधानी है। प्राचीन नगर है। पुराना ऐतिहासिक स्थान है। महाराज दिलीप का नाम इसके साथ जुड़ा है। यमुना के किनारे पर ही पाण्डवों का किला है। अशोक पिलर यहाँ है। यहीं हुमायूँ का मकबरा है। लाल किले का नाम आपने सुना होगा। कहीं से भी उसे तोड़ें या फोड़ें किसी न किसी की कब्र अवश्य मिलेगी। राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश शासकों की याद दिलायेगा। राजघाट पर गाँधीजी की समाधि है। बगल में नेहरू जी की समाधि है। यह संक्षेप में दिल्ली का दिग्दर्शन है। आप यहाँ पिकनिक अथवा बाजार के खरीद फरोख्त के लिए नहीं आये हैं। यदि आप दिल्ली देखना ही चाहते हैं तो स्टेशन पर जाकर पड़ोस में मजदूरों के प्रतीक विश्वकर्मा मन्दिर को देखें। आप राजघाट जाकर मजदूरों के आंदोलन को सर्व प्रथम अपने ढंग से चलाने वाले महात्मा गाँधी का भस्म अवश्य ग्रहण करें। नेहरू जी की समाधि से प्रेरणा लें, उन्होंने अपने कोमल शरीर को कष्ट देकर मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है। शान्ति बन को भी देखें, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। उन्होंने 'जय जवान, जय किसान' का नारा देकर दोनों मोर्चों पर जुटने का आह्वान किया है।

भारतीय मजदूर संघ की रीति व नीति के बारे में कुछ कहने का मेरा विषय नहीं है। तो भी एक बात की ओर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप यहाँ से 'भारतीय मजदूर संघ ही क्यों ?' का उत्तर लेकर अवश्य जाँय। इस देश पर हर देश की प्रभुत्व रखने की इच्छा रही है। अंग्रेजी ने हमारे मासूम लोगों को धीरे–धीरे प्रभावित किया। ईसाई पार्टियां आयीं—हमारे यहाँ अशिक्षा थी, गरीबी थी और आज है भी–उसको उन्होंने **Exploit** किया और अपना प्रभुत्व जमाया। हमारे अभावों का उन्होंने पूरा-पूरा लाभ लिया। अब नये एजेन्ट आये हैं। फैक्टरियों व खेतों के अभावों को पूरा करने के लिए रूस और चीन के एजेन्ट पहुंच रहे हैं। हमारी कमियों को अब ये **Exploit** कर रहे हैं। पहले सामने से हमला होता था अब पीछे से हमला होता है। ये एजेन्ट मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिये सेवाएं देते हैं और किसानों में भी जाते हैं तथा उनकी ओर से लड़ते हैं। नक्सलबाड़ी की घटना–इसी ओर संकेत करती है। हम वहाँ के किसानों के साथ बड़ी सहानुभूति रखते हैं। उनके हित के लिए अपना खून दे सकते हैं किन्तु रूस और चीन को आमंत्रित करने के लिए हम किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं। हम अपनी समस्याओं का हल स्वयं करेंगे। रूस और चीन के इंगित पर चलने वाला रूस और चीन को भलाई देखता है। भारतीय मजदूर संघ भारत के हितों की चिन्ता करके काम करता है। यह विचार लेकर हम जायं कि पहले देश बाद में रोटी, कपड़ा और मकान आदि अन्य समस्याओं का निराकरण करेंगे।

लाल और गहरा लाल रंगवाले मार्क्स, लेनिन और माओ का नाम स्मरण करते हैं। इन नामों से **Exploit** करना चाहते हैं। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि हमें मार्क्स, लेनिन और माओ के पास जाने की जरूरत नहीं है, इनसे अच्छे विचारक अपने यहां हैं। अपने यहां हजारों वर्ष पूर्व के उपनिषद् हैं। उनमें लिखा है कि रोटी, कपड़ा,

मकान तथा अन्यान्य पदार्थ इन्सान का नहीं वरन् ईश्वर का है। हमारे उपनिषदों ने मिल मालिकों की, टाटा विड़लाओं की सारी सम्पदाओं को उनकी न बताकर उससे भी ऊपर के लोगों की अर्थात् समाज की हैं, बताया है। वे मालिक तो ट्रस्टी मात्र हैं। आगे उसी टाटाओं को यह भी कहा कि लालच मत करो। उच्छिष्ट मात्र तुम्हारा है, शेष सभी समाज का है। महात्मा गांधी ने भी अहमदाबाद के मिल मालिकों से यही कहा कि तुम ट्रस्टी मात्र हो। भारतीय मजदूर संघ इसी सिद्धांत को लेकर चल रहा है। हमारी संस्कृति की पुस्तकें मजदूरों के सही दृष्टिकोण से भरी पड़ी हैं, उसे पढ़ने की जरूरत है। बाहर से आये हुये विचारों की हमें आवश्यकता नहीं, उनसे कहीं श्रेष्ठ विचार अपने पास हैं। हम किसी का भी शोषण नहीं होने देंगे। हमारे शास्त्रों ने भी शोषण की निन्दा की है।

थोड़ी मजदूरों की वर्तमान समस्या पर भी प्रकाश डाल दूँ। आज अनेकानेक विवादों के फैसले होते हैं किन्तु उन फैसलों का क्रियान्वयन नहीं होता है। निस्सन्देह यह श्रमिकों के लिये अत्यन्त कष्ट देने वाली बात है। फैसलों को लागू कराने के लिये हमको एक प्रकिया देनी होगी।

एक **Implementation Machinary evolve** करनी चाहिये। दीवानी की डिग्री की प्रतीक्षा की जा सकती है, परन्तु मजदूर उतना इन्तजार नहीं कर सकता। उसने कर्ज लेकर इतने दिन काम चलाया है। बेकारी काल में उसने चारों ओर से उधार लिया है। प्रतिनिधि बन्धु इसके लिये भी मार्ग निकालें। भारतीय मजदूर संघ इसके लिये प्रयत्न करे।

मेरा कार्य स्वागत करने का है। मैं आप लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ। साथ ही दिल्ली प्रवास और आवास में जो भी कष्ट आपको हुआ हो उसके लिये क्षमा चाहता हूं।

महामहिम उपराष्ट्रपति श्री वी॰ वी॰ गिरि

का

शुभ सन्देश

उपराष्ट्रपति, भारत
नई दिल्ली
११ अगस्त, १९६७

लगभग अर्धशताब्दि के मजदूर आन्दोलन के बावजूद भारतवर्ष में श्रमिक वर्ग अच्छी तरह से संगठित नहीं है। इसके कारण खोजने के लिये दूर जाने की जरूरत नहीं है—उदाहरणार्थ, कामगारों में निरक्षरता, संगठन का अभाव, राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता तथा औद्योगिक मतभेदों के सुलझाने के लिए बाहरी शक्तियों पर विश्वास—ये मजदूर आन्दोलन के दैन्यपूर्ण प्रगति के लिए जिम्मेवार हैं।

मैंने सदा ही इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय उद्देश्य की सफल सिद्धि के लिये प्रजातांत्रिक पद्धति पर मजदूरों के सुसंगठन की आवश्यकता है। ठीक इसीभांति मैं अपने कामगार साथियों पर भी यह जोर देता हूँ कि वे अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों की ओर प्राथमिकता देकर ध्यान दें और जैसे ही वे इसका पूर्ण निर्वाह करेंगे, उनके अधिकार तथा उनको मिलने वाली सुविधायें स्वतः ही उन्हें प्राप्त होंगी।

मुझे विश्वास है कि भारतीय मजदूर संघ का सम्मेलन जोकि इस समय प्रथम बार अपने वार्षिक अधिवेशन के लिये हो रहा है, देश के लिए वैभव के एक नए युग को प्राप्त कराने में सहायक होगा।

———

भारत के श्रम एवं नियोजन मंत्री
श्री जयसुखलाल हाथी का
शुभ सन्देश

परम प्रिय श्री ठेंगड़ी, ११ अगस्त १९६७

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारतीय मजदूर संघ का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन १२ व १३ अगस्त १९६७ को दिल्ली में होने जा रहा है, मैं भारतीय मजदूर संघ को अपनी शुभ कामनायें भेज रहा हूं।

ट्रेड यूनियन आन्दोलन केवल श्रमिकों की सामुहिक सौदेबाजी करने की शक्ति बढ़ाने के ही लिये अनिवार्य नहीं है बल्कि राष्ट्र-निर्माण की कार्यवाहियों के लिये भी जरूरी है। यदि कोई ट्रेड यूनियन को केवल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला संगठन मानता है तो यह गलत विचार होगा। श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण, निस्सन्देह, ट्रेड यूनियन आन्दोलन का एक प्रमुख कार्य है परन्तु उसके साथ ही उसे राष्ट्र हित भी देखना होता है। अधिक उत्पादन राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है और श्रमिकों को उत्पादन चक्र को सतत चलाते रहने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। उन्हें राष्ट्र निर्माण के अन्य कार्यों में भी प्रमुख भूमिका निर्वाह करनी पड़ती है। यह केवल प्रबुद्ध ट्रेड यूनियनों द्वारा ही संभव है और इसके लिये आवश्यक है कि वे श्रमिकों को प्रशिक्षित करें और उनमें कर्तव्यपरायणता के साथ ही दायित्व का भाव भी पैदा करें। मैं आशा करता हूं कि संघ इस रचनात्मक कार्य को करेगा। और स्वस्थ प्रजातांत्रिक समाज जिसमें हरएक को सामाजिक न्याय मिल सकेगा—की निर्मिति की क्षमता प्राप्त करेगा।

आपका शुभेच्छु

ज० ला० हाथी

प्रान्तशः और औद्योगिक महासंघशः
वृत्त निवेदन

भारतीय मजदूर संघ के सभी प्रदेशों एवं अखिल भारतीय औद्योगिक महासंघों के महामंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश व महासंघ का वृत्त प्रस्तुत किया। यथा—

श्री ओमप्रकाश आग्गी ने पंजाब, चण्डीगढ़ व हिमांचल प्रदेश, डा० कृष्ण गोपाल ने हरियाणा प्रदेश, श्री चांदरतन आचार्य ने राजस्थान, श्री रामकृष्ण भाष्कर ने दिल्ली प्रदेश, श्री रामनरेशसिंह ने उत्तर प्रदेश, श्री रामदेव प्रसाद ने बिहार, श्री महात्मा मिश्र ने बंगाल, श्री सत्येन्द्र-नारायण सिंह ने उत्कल प्रदेश, श्री रामभाऊ जोशी ने मध्य प्रदेश, श्री केशवभाई ठक्कर ने गुजरात, श्री गोविन्दराव आठवले ने विदर्भ प्रदेश, श्री रमन भाई शाह ने महाराष्ट्र प्रदेश, श्री प्रभाकर घाटे ने मैसूर प्रदेश, श्री हरिराव ने आन्ध्र, श्री अरुमुगम् ने मद्रास तथा श्री आर० वेणु गोपाल ने केरल प्रदेश का वृत्त प्रस्तुत किया। साथ ही भारतीय वस्त्रोद्योग कर्मचारी संघ का श्री किशोर देशपाण्डेय, भारतीय इन्जीनियरिंग मजदूर संघ का श्री रामकृष्ण त्रिपाठी, भारतीय रेलवे मजदूर संघ का श्री अमलदार सिंह, अखिल भारतीय सुगर मिल मजदूर संघ का श्री सुधीर सिंह, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का श्री रामप्रकाश मिश्र, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ का श्री बद्रिकानाथ झा तथा अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ का श्री वी०एन० साठ्ये ने वृत्त प्रस्तुत किया।

इसके अतिरिक्त आसाम प्रदेश एवं अन्यान्य उद्योग विशेष का जिनका वृत्त प्रस्तुत नहीं हो सका था, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने वृत्त दिया और सहयोगी संस्थाओं जैसे नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स एवं नेशनल फोरम आफ सेन्ट्रल इम्प्लाइज का वृत्त श्री गजाननराव गोखले ने प्रस्तुत किया।

प्रदेशशः कार्य का विवरण

क्र०	प्रदेश	यूनियन की संख्या	सदस्य संख्या	अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधि
१.	दिल्ली	४०	४५,१४३	१५०
२.	पंजाब	४०	१०,७५९	५७
३.	हरियाणा	२५	६,०००	९५
४.	राजस्थान	४१	२३,१००	४६
५.	गुजरात	१३	१,०००	३५
६.	विदर्भ	५४	९,५००	१७५
७.	महाराष्ट्र	६८	५१,१४३	२२९
८.	कर्नाटक	२०	६,०००	३०
९.	आन्ध्र	१०	१२,०००	५
१०.	मद्रास	५	५००	२
११.	केरल	१	५०	१
१२.	उड़ीसा	१	८००	१
१३.	मध्य प्रदेश	३२	८,७५७	४०
१४.	उत्तर प्रदेश	१४९	४३,०००	२०३
१५.	बिहार	२१	२५,०००	२५३
१६.	बंगाल	१४	१,३००	२५
१७.	आसाम	१	२,०००	—
१८.	चन्डीगढ़	६	८५०	५
	योग =	५४१	२,४६,९०२	१३५२

उद्योगश: कार्य की स्थिति

अ० भा० महासंघ	यूनियन की संख्या	सदस्य संख्या
भारतीय वस्त्रोद्योग कर्मचारी महासंघ	५७	४५,३००
अखिल भारतीय सुगर मिल मजदूर संघ	२७	५,८५१
भारतीय इन्जीनियरिंग मजदूर संघ	४७	१५,०००
भारतीय रेलवे मजदूर संघ	१०	८१,६५०
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ	१५	५,२४७
अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ	१३	६,१२५
अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ	५	११,०००

वर्तमान समय में भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्धित यूनियनों की ओर से उत्तर प्रदेश में ५, राजस्थान में १, महाराष्ट्र में ७ व विदर्भ में ४ सहकारी समितियां चल रही हैं तथा उसी प्रकार दिल्ली में २, विदर्भ में २ व महाराष्ट्र में १ सहकारी भंडार, विदर्भ में १ व महाराष्ट्र में १ सहकारी कैन्टीन एवं महाराष्ट्र में १ श्रमिक सहकारी समिति भी चल रही हैं।

बम्बई में श्री गजाननराव गोखले की अध्यक्षता में 'भारतीय श्रम अन्वेषण केन्द्र' एवं लखनऊ में श्री ठाकुरदास साहनी के मार्ग दर्शन में 'भारतीय चीनी उद्योग अनुसन्धान केन्द्र' की स्थापना की गई हैं और बम्बई से "मजदूर वार्ता" नामक पाक्षिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है।

अधिवेशन में कुल १३५२ प्रतिनिधि भाग ले रहे थे तथा इसके अतिरिक्त दिल्ली के लगभग ५० कार्यकर्ता व्यवस्था आदि कार्यों में लगे हुये थे।

वृत्त निवेदन करते हुये श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी

श्री दादा साहेब गायकवाड़ के साथ परामर्श करते हुये
महामंत्री श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी

श्री विनयकुमार मूखर्जी ध्वजारोहण करते हुये साथ में
श्री रामकृष्ण भारद्वाज

अधिवेशन का उद्घाटन करते हुये श्री दादा साहेब गायकवाड़

श्री दादा साहेब काम्बले के साथ परामर्श करते हुये महामंत्री श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी एवं स्वागताध्यक्ष श्री वी० पी० जोशी

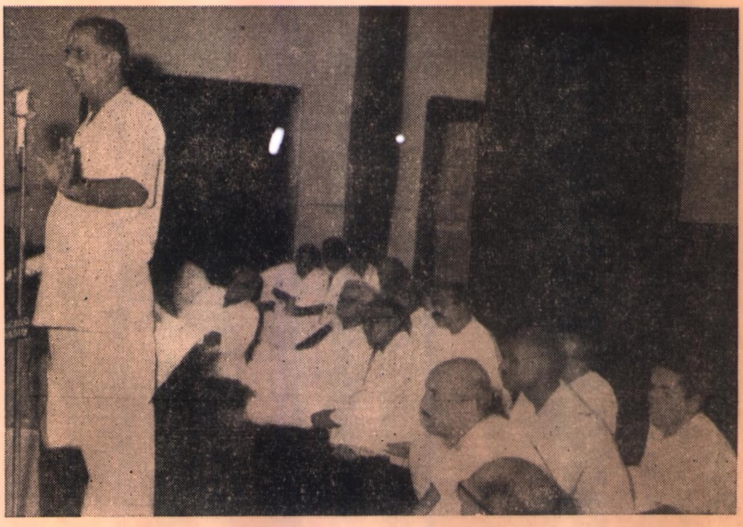

प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये स्वागताध्यक्ष श्री वी० पी० जोशी एडवोकेट

भारतीय मजदूर संघ के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन
के अवसर पर

महामंत्री श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी (संसद सदस्य) द्वारा

वृत्त निवेदन

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय और प्रिय प्रतिनिधि बंधुगण,

भारतीय मजदूर संघ का यह प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन भारत के श्रम क्षेत्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जायगा क्योंकि इस इतिहास के नये गौरवशाली पर्व के उद्घाटन की अधिकृत घोषणा यह सम्मेलन कर रहा है।

घोषणा आज हो रही है तो भी इसकी पृष्ठभूमि बनाने में ठीक १२ साल की अवधि बीत गयी है। हमारी परम्परा में एक तपस की अवधि १२ साल की मानी गयी है। अतः आज उद्घोषित नूतन श्रम संगठन विधिवत् तपःपूत है।

दिनाँक २३ जुलाई १९५५ को हम प्रथम बार भोपाल में एकत्रित हुये थे। मजदूर तथा देश का कल्याण चाहने वाले कार्यकर्त्ताओं का वह सम्मेलन था। श्रम क्षेत्र की स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर उस समय विचार-विमर्श हुआ। सर्व प्रथम यही विचार सामने आया कि नये संगठन का निर्माण किया जाय। क्योंकि उसके कारण मजदूर एकता में बाधा आयेगी। साथ ही साथ यह भी सोचा गया कि आदर्श श्रम संस्था के अभाव में देश और मजदूर को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रेड-यूनियनें सही ट्रेड यूनियन के आधार पर चलें; मजदूर तथा देश का कल्याण यही उसका उद्देश्य रहे; मजदूर, उद्योग तथा राष्ट्र—तीनों

के हित एक ही दिशा में जाने वाले हैं यह उसकी मान्यता रहे; अधिकार और कर्त्तव्य दोनों पर वह समान आग्रह रखे; व्यक्तिगत नेतागिरी, राजनैतिक दलगत स्वार्थ, मालिक, सरकार और विदेशी विचारधारा का प्रभाव इन सब बातों से वह सर्वथा मुक्त रहे; राजनैतिक दल निरपेक्ष सभी राष्ट्रवादी तत्वों के लिए एक सामान्य मंच के नाते वह कार्य करे, राष्ट्रीय संस्कृति तथा परंपरा के प्रकाश में मजदूरों को, मजदूरों के लिये, और मजदूरों द्वारा चलाई गयी संस्था–इस भूमिका का वह निर्वाह करे; और मजदूरों का सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ मनोवैज्ञानिक एकात्म्य स्थापित करते हुये अधिकतम उत्पादन के द्वारा राष्ट्रोत्थान के कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग देने में वह सिद्ध हो। इस कसौटी पर वर्तमान श्रम संस्थायें असमाधान कारक ही प्रतीत हुई। इस कारण उपर्निर्दिष्ट तत्वों की पूर्ति करने वाले श्रम संघटन का निर्माण–यह भारत की ऐतिहासिक आवश्यकता मानी गयी।

बारह वर्ष पहले जिस समय हम लोगों ने यह संकल्प किया उस समय भारतीय मजदूर संघ का केवल नाम ही हमारे पास था। संघटन की दृष्टि से न थी कोई यूनियन, न थे कार्यकर्ता, और न था कोष। हमें प्रारम्भ से ही आरंभ करना पड़ा।

इस दृष्टि से भारतीय मजदूर संघ की स्थिति अन्य केन्द्रीय श्रम संस्थाओं से बहुत ही भिन्न थी। अन्य संस्थाएँ माने केवल Regrouping मात्र थी। यूनियनें, कार्यकर्त्ता, कोष, सदस्य संख्या आदि पहले से ही विद्यमान तथा उनके लिये उपलब्ध थीं। केवल एक ध्वज को छोड़कर दूसरे ध्वज को स्वीकार करने की ही वह बात थी। हमारे लिये प्रारंभिक अवस्था शून्य सी ही थी और हमारे संकल्प का मतलब यह था कि शून्य में से नयी सृष्टि का निर्माण किया जाय।

यह स्वाभाविक ही था कि प्रारंभ में यत्र-तत्र Retail दुकानदारी ही हमें शुरू करनी पड़ी। उन दिनों में हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत

धीरे-धीरे बढ़ रही थी और जो मैदान में आए उनकी स्थिति चक्रव्यूह में घिरे अभिमन्यू के समान थी। एक तो लगभग सभी क्षेत्रों में अन्य प्रतिस्पर्धी यूनियनें पहिले से ही व्याप्त थीं। दूसरी बात यह कि हमारे कार्यकर्ता इस क्षेत्र के अनभ्यस्थ तथा मजदूरों के लिये अपरिचित थे और मुकाबला था ख्यातनाम पुराने नेताओं से। साथ ही किसी भी नयी संस्था को आरंभ से ही कुचल देने की मार्मिक तथा सरकार की प्रवृत्ति का भी मुकाबला करना पड़ा। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में, जबकि आशा की किरन कहीं भी दिखायी नहीं देती थी, धीरज के साथ निष्काम बुद्धि से प्रयास जारी रखने की क्षमता विशुद्ध आदर्शवाद के ही कारण हमारे कार्यकर्त्ताओं को प्राप्त हुई—इसमें संदेह नहीं।

इस आदर्शवाद के आधार पर धीरे-धीरे कार्य बढ़ता गया। कार्यकर्त्ताओं का अनुभव बढ़ा। अनुभवी कार्यकर्त्ता प्राप्त हुये। धन संग्रह की शक्ति बढ़ती गयी। वार्ता, संराधन, पंचाट (Arbitration), श्रम अर्थशास्त्र में कार्यकर्त्ताओं की प्रगति बढ़ती गई; श्रम अदालत आदि मोर्चों पर कार्य करने की कुशलता; संघर्ष की क्षमता तथा इसको सफलता तक पहुंचाने की योग्यता बढ़ती गयी विभिन्न रचनात्मक कार्यों की जानकारी तथा उनकी दृष्टि से योग्यता भी बढ़ती गयी और इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्र समर्पित मजदूर हितैषी कार्यकर्त्ताओं के इस समूह की पारिवारिक भावना भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गयी।

हमारे संगठन का विकास क्रम कुछ अनोखे ढंग का है। प्रायः पद्धति यही होती है कि प्रारंभ में ही अखिल भारतीय समिति का निर्माण किया जाय और तदुपरांत प्रादेशिक व स्थानीय आदि इकाईयाँ क्रमशः बनायी जायँ। यह ऊपर से नीचे आने वाली प्रणाली है। हमने इसके ठीक विपरीत भूमिका स्वीकार की। सर्वप्रथम जगह-जगह छोटी बड़ी स्थानीय यूनियनों का निर्माण किया, जहाँ-जहाँ प्रदेश में यूनियनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ गयीं वहाँ-वहाँ भारतीय मजदूर संघ की प्रादेशिक समितियों का विधिवत गठन किया। जिन-जिन उद्योगों में प्रादेशिक तथा अखिल

भारतीय स्तर पर हमारी यूनियनों की संख्या बढ़ गई उन २ उद्योगों में प्रादेशिक तथा अखिल भारतीय महासंघों का निर्माण किया। इस तरह विधिवत संगठित कई प्रादेशिक समितियां—प्रादेशिक औद्योगिक महासंघ और चार अखिल भारतीय औद्योगिक महासंघ (चीनी, इंजीनियरिंग, टेक्सटाईल, रेलवे) इन सबके गठन के पश्चात् साथ ही प्रतिरक्षा, बिजली तथा खदान आदि उद्योगों में कार्य का सूत्रपात करने के बाद हम लोग आज पहिली ही बार अपनी अखिल भारतीय संस्था का निर्माण करने के लिए एकत्रित हुये हैं। निश्चित ही यह पद्धति अन्य संस्थाओं की पद्धति से सर्वथा भिन्न है। यह इसी का परिचायक है कि हमारे कार्यकर्त्ता असीम धीरज रख सकते हैं, वे जल्दबाज नहीं। अपने कार्य की अंतिम विजय में पूर्ण विश्वास होने के कारण ही वे इस अनोखी पद्धति को स्वीकार करने का साहस कर सके।

हमारे प्रादेशिक महामंत्रियों, संगठन मंत्रियों तथा अखिल भारतीय महासंघों के मंत्रियों के निवेदनों से हमारी स्थिति-गति-प्रगति का संपूर्ण चित्र हमारे सामने उपस्थित हुआ है। (१) आज हमारे पास पूर्ण समय देकर काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं की संख्या ७५ है। संख्या आज कुल मिलाकर २५०,००० है। (२) संलग्न यूनियनों की संख्या ५०० से ऊपर है और (३) जगह-जगह कार्य को आर्थिक स्वयंपूर्णता प्राप्त हो रही है। श्रम कानून में विशेषज्ञ कार्यकर्त्ता एवं वकीलों की संख्या भी पर्याप्त हो रही है। अखिल भारतीय तथा प्रादेशिक कार्यालयों की सक्रियता एवं सूक्ष्मता उचित सीमा तक पहुंच रही है। संघ के मुखपत्र के नाते बंबई से 'मजदूर वार्ता' का प्रकाशन आरंभ हुआ है और उसका प्रसारक्षेत्र विभिन्न प्रदेशों में बढ़ता जा रहा है। श्रमिक वर्ग में मान्यता भी बढ़ रही है। बहुसंख्य प्रदेशों में एक प्रभावी श्रम संघटन इस नाते भारतीय मजदूर संघ जनमानस में स्थान प्राप्त कर रहा है। दिल्ली और पंजाब में राज्य स्तरीय सरकारी मान्यता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा महाराष्ट्र में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त होने की निश्चित संभावना दिख रही है

और भारत सरकार ने भी इस वर्ष के [Annual Returns] के आधार पर हमारी मान्यता के प्रश्न का निर्णय करने का निश्चय किया है। रेलवे मंत्रालय के सम्मुख भारतीय रेलवे मजदूर संघ को मान्यता देने का प्रश्न विचाराधीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संगठन के बढ़ते हुये प्रभाव और यशश्विता के विषय में देश के राष्ट्रवादी तत्वों के मन में अब दृढ़ विश्वास तथा आशा पैदा हो रही है। कार्य की प्रारम्भिक अवस्था के नाते यह स्थिति संतोषजनक है। यद्यपि हम यह कदापि न भूलें कि यह संतोषजनकता प्रारम्भिक अवस्था के नाते ही है।

हमारे कार्यकर्त्ता इसी लगन से कार्य में जुट गये तो अखिल भारतीय मान्यता हमें शीघ्र ही प्राप्त होगी इसमें सन्देह नहीं। यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय मान्यता को हम उतना और उस ढंग का महत्व नहीं देते जितना और जिस ढंग का महत्व इसको अन्य श्रम संस्थाएँ देती हैं। उनका अंतिम गन्तव्य स्थान नजदीक का ही है। इसलिये अखिल भारतीय मान्यता और उसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ उनके लिये परमोच्च लक्ष्य है। हमारे लिये यह लक्ष्य परमोच्च नहीं। हमारा गंतव्य स्थान अतिदूर का है किन्तु हाँ, वहाँ तक पहुंचने के लिये इस मान्यता के द्वार में से भी गुजरने की आवश्यकता है।

जहाँ हम लोग भारतीय मजदूर संघ के संगठन की दृष्टि से प्रयत्न-शील हैं वहाँ इसी विचारधारा पर आधारित यूनियनें अन्य क्षेत्रों में गठित करने में भी हमारे कार्यकर्त्ता सहयोग दे रहे हैं। संलग्नता की चिन्ता न करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों को खड़ा कर रहे हैं। Banking उद्योग में स्थापित हुई National Organisation of Bank workers यह ऐसी ही एक संस्था है। प्रसन्नता की बात है कि इस संस्था के जन्म के पश्चात् २० मास के अन्दर ही इसे सरकार तथा मालिकों की ओर से मान्यता प्राप्त हुई। सरकारी कर्मचारियों के क्षेत्र में भी हमारे कार्य-कर्त्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। हमारी रेलवे यूनियनों के समान

भारतीय मजदूर संघ संलग्नता न रखते हुये स्वतन्त्र रूप से किन्तु कट्टर राष्ट्रवादिता के आधार पर कार्य करने वाली फोरम आदि गैर ट्रेड यूनियन संस्थाओं को तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों से यूनियनों तथा एसोसिएशनों को उनके हरेक आंदोलन में तथा संगठन प्रयास में हमारा पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है। सरकारी क्षेत्र में स्थित पब्लिक कार्पोरेशन्स के कर्मचारियों के आन्दोलनों में भी हमारे कार्यकर्त्ताओं ने सक्रिय हिस्सा लिया है। जैसे L. I. C. के कर्मचारियों का Automation विरोधी आन्दोलन। स्मरण रहे कि [Gold Control Order] के विरोध में स्वर्णकारों को संगठित करने का उत्तर प्रदेश का पहला सफल प्रयास भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में ही हुआ था।

श्रम कानून की कक्षा में आने वाले श्रमिकों को ही केवल हम श्रमिक नहीं मानते। उस कक्षा के बाहर रहते हुए भी परिश्रम के आधार पर जीविकोपार्जन करने वाले सभी लोगों को हम श्रमिक समझते हैं। यही कारण है कि देशी कारीगरों के लिये विदेश में **भारतीय कारीगर सूचना केन्द्र** निर्माण किया गया तथा जगह जगह मार्केट कोआपरेटिव के गठन करने में उन्हें सहायता दी गयी।

वनवासी श्रमिकों के लिये Forest Labour Co-operatives बनाने की दिशा में भी प्रयास किया गया। कई प्रदेशों में श्रम कानून की कक्षा के अंतर्गत न आने वाले अध्यापकों के आन्दोलन का भी समर्थन किया गया तथा शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकीकरण का मौलिक सुझाव प्रस्तुत किया गया। अध्यापन न करने वाले शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारी भी संगठित किये गये तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिये सफल प्रयास किये गए यद्यपि वे श्रम कानून के दायरे से बाहर हैं।

अवकाश प्राप्त अनेक कानून द्वारा असुरक्षित पेन्शनर लोगों की माँगों का भी विभिन्न मंचों से हमने समर्थन किया। जल नाविक मजदूरों

के आर्थिक हितों की रक्षा का प्रयास न केवल यूनियनों के अपितु Cooperative Societies के द्वारा भी करने वाली एकमेव श्रमिक संस्था याने अखिल भारतीय मजदूर संघ है। इसी प्रवृत्ति के कारण आंध्र के बुनकर भाइयों के लिये प्रादेशिक Forum का निर्माण किया गया है।

यह प्रसन्नता की बात है कि इसी मास में एक नये तथा अस्पष्ट क्षेत्र में संघ पदार्पण करने वाला है। वह क्षेत्र है समाज कल्याण संस्थाओं के कर्मचारियों का। उन्हें भी श्रम कानून का संरक्षण प्राप्त हो, इस हेतु संघर्ष करना पड़ेगा। संघ द्वारा किया हुआ एक महत्वपूर्ण कार्य याने उपभोक्ता भाव का जागरण (consumers consciousness)। संघ की मान्यता है कि राष्ट्रमान का आर्थिक क्षेत्र में निकटतम पर्याय-वाची द्वारा याने उपभोक्ता भाव ही है। उपभोक्ता सम्मेलनों की पहल अखिल भारतीय मजदूर संघ ने ही की। उद्योग के मुनाफे में उपभोक्ता को भी साझीदार बनाना चाहिए, यह सुझाव संघ ने ही Bonus Commission (बोनस आयोग) के सामने रखा।

औद्योगिक क्षेत्र में संघ के नेतृत्व का स्वयं प्रतिनिधित्व प्रकट हुआ है। जीवन निर्देशांक की रचना की अशास्त्रीयता सर्वप्रथम संघ ने ही प्रकट की और आगे चल कर अन्य श्रम संस्थाओं तथा सरकार को भी यह बात स्वीकार करनी पड़ी। स्मरण रहे कि भारत का सर्वप्रथम और सफल 'बंद आन्दोलन' बम्बई में २० अगस्त १९६३ के दिन उसी की मांग पर हुआ था। और जिसे संगठित करने में भारतीय मजदूर संघ ने पहल की थी। अलग-अलग उद्योगों के मजदूरों की वेतन श्रेणियों का अलग-अलग खंडशः (Piecemeal) विचार न करते हुये देश के सभी मजदूरों की वेतन व्यवस्था का सर्वंकष विचार वैज्ञानिक आधार पर हो– यह मांग रखने वाली पहली ही संस्था याने भारतीय मजदूर संघ है। मजदूरों के परिवारों के माहवार खर्चे की जांच आधार पर राष्ट्रीय

न्यूनतम का निर्धारण; यह न्यूनतम अकुशल मजदूरों का प्रारम्भिक वेतन समझ कर अन्यान्य श्रेणियों के मजदूरों के वेतन श्रेणियों का Job-evaluation के आधार पर निर्धारण; और सम्पूर्ण वेतन का जीवन निर्देशांक के साथ सम्बन्ध जोड़ते हुए असली वेतन की सुरक्षा यह त्रिसूत्री मांग संघ ने प्रस्तुत की। जब तक प्रत्यक्ष वेतन जीवन वेतन के स्तर तक नहीं आता तब तक बोनस को विलंबित तथा पूरक वेतन माना जाय यह मांग की। न्यूनतम तथा अधिकतम व्यय योग्य आय में एक और दस का अनुपात प्रतिपादन किया। मूल्य बृद्धि के लिये वेतन बृद्धि उतनी ही मात्रा में जिम्मेवार है जितनी मात्रा में वेतन बृद्धि उत्पादकता बृद्धि से अधिक होगी, यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया। चतुर्थ पंचवार्षिक योजना की कालावधि में राष्ट्रीय वेतन नीति, राष्ट्रीय मूल्य नीति, तथा राष्ट्रीय आय नीति तय हों और इस दृष्टि से देश के सभी आर्थिक पक्षों की गोल मेज कॉन्फ्रेन्स (Round table Conference) बुलाई जाय यह मौलिक सुझाव दिया। गजेंद्र गडकर कमीशन के सामने निवेदन पेश करते समय भा० रे० म० संघ के प्रतिनिधियों ने जो मूल-ग्राही विचार रक्खे उनके कारण इस विषय में भारतीय मजदूर संघ के विचारों की विशेषता सबके ख्याल में आयी।

श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र का औद्योगीकरण तथा उद्योगों का श्रमिकीकरण (Nationlise the Labour ; Labourise the Industry ; Industrialise the Nation) यह संघ की त्रिसूत्री माँग भी उनकी विचार पद्धति का ही परिचय देती है। उद्योगों के स्वामित्व के विभिन्न ढांचों की उपयोगिता स्वीकार करते हुए उद्योगों के श्रमिकीकरण की कल्पना भी संघ की, जगत् के श्रम क्षेत्र को एक मौलिक देन है।

रचनात्मक दृष्टिकोण से इन विषयों का अध्ययन करने के हेतु **भारतीय श्रम अन्वेषण केन्द्र बम्बई** तथा **भारतीय चीनी उद्योग अन्वेषण केन्द्र लखनऊ** की स्थापना की गई। लखनऊ अन्वेषण केन्द्र में भारत के चीनी उद्योग की आय बृद्धि के लिए सरकार के सामने

एक सर्वांकष योजना अभी-अभी पेश की है। बम्बई केन्द्र ने वेतन तथा मूल्यों के विषय में किया हुआ अन्वेषण सभी औद्योगिक श्रमिकों के लिये लाभ-प्रद सिद्ध हुआ है। इंजीनियरिंग उद्योग के विषय में भी इसी तरह के मौलिक सुझाव वेतन आयोग के सामने पेश किये गये हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की त्रुटियों के विषय में प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र ESIC के अधिकारियों की प्रशंसा के लिए कारण बना जिसके कई सुझाव स्वीकार किये गए हैं।

प्रादेशिक संगठनों तथा अखिल भारतीय महासंघों की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत हुआ ही है जिससे यह स्पष्ट होता है कि हम समन्वय वादी नहीं किन्तु समन्वय-क्षम हैं और संघर्षवादी नहीं अपितु संघर्ष-क्षम हैं। औद्योगिक शांति तथा अशांति दोनों अवस्था में संघ ने मजदूरों का मार्ग दर्शन किया है।

प्रखर राष्ट्रीयता यह भा०म० संघ की विशेषता है। इसी कारण चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमणों के समय राष्ट्रीय मजदूर मोर्चा बनाने में संघ ने या तो पहल की या उसमें पूरी शक्ति से हिस्सा लिया। हरेक उद्योग में एक ही राष्ट्रवादी यूनियन रहे यह नारा दिया और गैर राजनैतिक स्तर पर सभी राष्ट्रवादी तत्वों की एक ही National Federation of Labour बनती है तो उसमें अपना स्वतन्त्र अस्तित्व विलीन करने का आश्वासन दिया। मजदूर क्षेत्र में लाल रंग का प्रस्थापित महत्व ध्यान में रखते हुये भी अपना गैरिक ध्वज भारत के निजी परम्परागत रंग का रखने का निर्णय राष्ट्रीयता के कारण लिया गया। विशेषत: भारत के ट्रेड यूनियन क्षेत्र में 'राष्ट्रीय-श्रम दिवस' की पद्धति प्रारम्भ करने का श्रेय संघ को ही है। प्रसन्नता की बात है कि अब उ०प्र० आदि कई राज्यों में अन्य श्रम संस्थाओं ने भी इसको अपना लिया है। राष्ट्रीयता के कारण ही सच्ची लोक-प्रियता की चिन्ता न करते हुए उत्पादन वृद्धि पर संघ ने आग्रह किया है। बम्बई के G K.W. में संघ से समझौता होने के पश्चात मजदूरों की उत्पादकता उनके इंगलैंड में स्थित कारखाने की

तुलना में अधिक बढ़ गयी यह कई उदाहरणों में से एक है। भारतीय कालगणना के अनुसार छुट्टियों की शास्त्रीय तथा व्यवहार्य योजना संघ ने प्रकाशित की है।

मानवता की मौलिक इकाई राष्ट्र है वर्ग नहीं इस मान्यता के कारण गिरोहवादियों का 'Workers of the World Unit' यह हर राष्ट्र को विघटित करने वाला नारा त्यागकर संघ ने संसार के सभी राष्ट्रों को संगठित करने वाला Workers Unite the World यह ध्येय वाक्य दिया। मानवता के आधार पर हर एक राष्ट्र पूरी तरह से सगठित रहे और मानवता सभी राष्ट्रों का सामजस्य पूर्ण परिवार बना रहे यह हमारा आदर्श है।

प्रतीक के विषय में विदेशियों का अंधानुकरण न करते हुये संघ ने औद्योगिक चक्र, कृषि तथा समृद्धि की परिचायक वाली और एकता की परिचायक मुट्ठी के साथ मानवी अंगूठे को (Opposable Thumb) प्राधान्य दिया, जिसको कि मानवी विकास श्रम के इतिहास में हंसिया, हथौड़ा और हल का आदि कारण माना है।

अंतर्गत संगठन की दृष्टि से भी संघ ने भारतीय पद्धतियों का ही आधार लिया है। कानून तथा संविधान के अंतर्गत रहते हुये भी हमने अपने परिवार की रीति विकसित करने का प्रयास चलाया है। संविधान की व्यवस्था का विवरण मानकर सभी स्तरों पर हम यह देखते हैं कि संविधान संघ का साधन बने न कि संघ संविधान का। अन्य संस्थाओं के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय पद्धति की पारिवारिक भावना के अभाव में संविधान संस्थाओं के विघटन का कारण बन जाता है। पारिवारिक भावना के रहते हुये संविधान अन्तर्गत व्यवस्था का विवरण बन जाता है। इस तथ्य को संगठन की नीव बनाने वाला भारतीय संघ मात्र श्रम संगठन है। इसके कारण अन्य संस्थाओं में दीखने वाली त्रुटियों तथा दोषों से हम मुक्त रहेंगे यह दृढ़ विश्वास है।

यह बात स्पष्ट है कि 'भारत के अन्यान्य श्रम संस्थाओं में से एक' यही केवल भूमिका भारतीय मजदूर संघ की नहीं है। अपने सिद्धान्तों तथा पद्धतियों के कारण संघ यह अपने ढंग की अकेली संस्था है। हमारे लिये यह गौरव का विषय है कि हम सबको इसके निर्माण का श्रेय है। क्योंकि यह संस्था सही अर्थ में अपौरुषेय है। यह भारत की राष्ट्रशक्ति के संकल्प का आविष्कार मात्र है।

भारत का नव जागृत मजदूर आशाभरी दृष्टि से इस अधिवेशन की ओर देख रहा है। आज वह जीवन मरण के प्रश्न का मुकाबला कर रहा है। आसमान को छूने वाली महगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और उसकी क्षति पूर्ति शत-प्रतिशत न करने का निश्चय सरकार तथा मालिकों का है। बेकारी, अर्धबेकारी, छटनी और मजदूर विरोधी नीतियों में निरन्तर बृद्धि होती जा रही है। मजदूरों की सेवा की सुरक्षा तथा असली वेतन निरन्तर घटता जा रहा है। इन परिस्थितियों में मजदूरों को एक ओर साहसवाद (Adventurism) का और दूसरी ओर समर्पण (Surre derism) का शिकार न बनाते हुए वास्तवतावाद (Realism) के आधार पर उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना यह आपका दायित्व है। यह विश्वास है कि इस दायित्व का निर्वाह यह अधिवेशन करेगा और अपने नये रचनात्मक नेतृत्व का परिचय देगा।

माननीय श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी द्वारा प्रतिनिधियों

का

मार्गदर्शन

अपना अनोखा कार्य है। १२ वर्ष से यह संस्था बनी है, पर इसकी कोई अखिल भारतीय समिति नहीं। बिना निर्वाचन के ही मेरे नाम के पहले महामंत्री लिखा जाता है। मैं संयोजक हो सकता था, संगठनमंत्री भी हो सकता था, पर बिना कार्यसमिति के महामंत्री नहीं। किन्तु हमारे उद्देश्य, दृष्टिकोण, आपसी विश्वास तथा पारिवारिक भावना से परिचित होने के कारण, महामंत्री प्रयोग करने में किसी को भी हिचकिचाहट नहीं रही।

आज हम अखिल भारतीय संस्था बनाने के लिये यहाँ एकत्रित हुये हैं वह केवल इसलिए नहीं कि जहाँ ४ संस्थायें चल रही हैं वहाँ पाँचवीं अपनी हो, वरन् इसलिए कि सही सिद्धान्त और शुद्ध कार्य पद्धति पर आधारित अपना संगठन खड़ा हो। हमारे कार्यकर्त्ताओं को इसके लिये कोई जल्दबाजी नहीं है।

पारिवारिक आधार

अपने यहाँ पारिवारिक आधार है, वाकी के यहां संविधान प्रमुख है। हम लोग संविधान का महत्व अभूतपूर्व नहीं मानते। कपड़े के लिए बच्चा पैदा नहीं होता वल्कि बच्चे की शरीर रक्षा के लिए कपड़ा चाहिये। संस्था चले या नहीं—संविधान बना रहे, उसका पालन हो, यह हम नहीं मानते। पारस्परिक पारिवारिक भावना रहने पर ही किसी संस्था का कार्य चलता है। यूनीफार्म पहन लेने मात्र से सभी सैनिक आर्डर देने योग्य नहीं हो जाते और न ही आर्डर का वे पालन ही कर पाते हैं। घर और परिवार का कार्य सुचारु रूप से चलता है जहाँ

कोई विधान नहीं। पर सभी व्यक्ति अपना काम विधिवत् करते हैं। Spirit is important than letter. पारिवारिक भावना के कारण अपना कार्य बढ़ा है, संविधान के कारण नहीं।

आदर्श कार्यकर्त्ता

हमारे यहाँ कार्यकर्त्ताओं का समूह है, लीडरों का नहीं। वह विशुद्ध भावना से भारतीय मजदूर संघ का कार्य करते हैं। हमारे सभी कार्यकर्त्ता भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्त्ता हैं यूनियन के कार्यकर्त्ता नहीं। अन्य स्थानों के कार्यकर्त्ता यूनियन के कार्यकर्त्ता हैं। जहाँ अन्यान्य संस्थाओं में यूनियन का कार्यकर्त्ता अपने केन्द्रीय संगठन का कार्यकर्त्ता बनता है वहीं हमारा कार्यकर्त्ता भारतीय मजदूर संघ के नाते यूनियन का कार्यकर्त्ता है। हमारा कार्यकर्त्ता यूनियन Consciousness नहीं, भारतीय मजदूर संघ Consciousness रखता है। दूसरी बात है हमारा कार्यकर्त्ता व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं करता। यही हमारी विशेषता है।

आगे बढ़ने की परिभाषा

हमारे आगे बढ़ने की परिभाषा भी अन्यान्य संस्थाओं की अपेक्षा बिलकुल भिन्न है। हम तो आगे बढ़ने की परिभाषा में त्याग करने की होड़ अधिक से अधिक काम करने को वृत्ति को मानते हैं। वसंत में कोकिला गायन करती है—यह उसकी प्रवृत्ति है, वह Working hours नहीं जोड़ा करती। ठीक यही वृत्ति हमारे कार्यकर्त्ताओं में होनी चाहिए। जिसे काम करने में 'स्वान्तः सुखाय' का भाव जगे—वही श्रेष्ठ है। जिसके घर में भारतीय मजदूर संघ के कारण झगड़ा नहीं वह कार्यकर्त्ता नहीं है, यह आमतौर पर मानना चाहिये। बढ़ने का लक्षण यह है कि जहाँ सदस्य संख्या बढ़ रही है वहीं आत्मीयता और सामंजस्य भाव भी बढ़ रहा है।

निःस्वार्थ भावना

चुनाव में स्पर्द्धा है, Careerism है—इसलिए गड़बड़ है। भारतीय मजदूर संघ को हम लोगों ने इससे मुक्त रखा है और आगे रख सकें—यह

प्रयास है। यह अलिखित Convention डाले हैं। गलत ढंग से बढ़ने के स्थान पर न बढ़ना ज्यादा अच्छा है। मुहम्मद साहब का कार्य बढ़ा। झगड़ों के निबटारे के लिए उनके शिष्यों ने नेता की माँग की तो उन्होंने कहा कि हर जगह अमीन उसी को चुनना जो बनना न चाहे। हमने भी यही पद्धति अपनाई है। जो पद चाहता हैं उसे पद नहीं देना और जो नहीं चाहता है उसे ही सौंपना। स्वयं बड़ा बनने की इच्छा वाला व्यक्ति संस्था को ले बैठता है। अपने यहाँ हरएक स्वयं को छोड़कर बाकी के बारे में विचार करता है–चिन्ता करता है। भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्त्ता मजदूरों के हितों की रक्षा करने के बाद भी जानता है कि उसका कोई लाभ नहीं होना है। जहाँ मजदूरों का काम हो रहा है वहाँ अपना कोई लाभ होगा—ऐसी भावना कदापि नहीं चाहिए। हमारी इच्छा है कि आपको कष्ट हो तथा सुख का अभाव रहे। मजदूर संघ के कार्यकर्त्ता की यही प्रतिष्ठा है। एक ओर आदर्शवाद की प्रतिष्ठा और दूसरी ओर अवसरवाद की सुविधायें दोनों सम्भव नहीं है। मुहम्मद साहब के सभी सरदार लूट का बटवारा करते थे पर मुहम्मद साहब नहीं लेते थे। एक बार जब उनकी पत्नी ने उनसे लूट का माल लेने का आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं लूट का माल ले सकता हूं पर तुम्हें पैगम्बर की पत्नी कहलाने का Status खोना पड़ेगा। ईसा मसीह ने भी यही कहा हैं कि हृदय में या तो भगवान बैठेगा या शैतान। दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते।

सही मान्यता

भारतीय जीवन मूल्यों को समझकर हम देर में आगे बढ़ सकते हैं परन्तु हम सारे हिन्दुस्तान पर छा सकें—इसीलिये हम सरकारी मान्यता नहीं चाहते। हमारी पृथक मान्यता है। हमारा उद्देश्य दूर का है। बीच का एक स्टेशन सरकारी मान्यता हो सकती है। बिना मान्यता के शून्य से आज ढाई लाख की स्थिति में कैसे पहुंचे? मान्यता की चिन्ता हम क्यों करें? उसकी चिन्ता सरकार करे, मालिक करे। हम अपना

कार्य बढ़ाते जांय चाहे मान्यता मिले या न मिले--हम जबरदस्ती माँगें मनवा सकते हैं। हमें मिलनी चाहिए मजदूरों की मान्यता। मां के हृदय में जो ममता है वह जब तक कर्मचारियों के प्रति नहीं होगी—मान्यता का कोई मूल्य नहीं। स्वामी विवेकानन्द ने कहा—जब तक भारत में एक भी कुत्ता भूखा है–मैं मोक्ष की कामना नहीं करता। आत्मा की जिन्हें मान्यता प्राप्त हुई है—उनका समूह अर्थात् भारतीय मजदूर संघ। मैं जब इनटुक में कार्य कर रहा था–उस समय आल इंडिया जनरल कौन्सिल के लिए चुना गया। मैंने इस चुने जाने की सूचना एक वयोवृद्ध सज्जन को जब दी तो उन्होंने कहा कि तू भले ही इनटुक की आल इन्डिया जनरल कौन्सिल में चुन लिये गये हों पर जब तक तुम मजदूरों के दुःख से दुःखी नहीं होता–भगवान् की जनरल कौन्सिल में नहीं चुना जा सकता। ऐसी भावनायें पारिवारिक भावना पर ही अवलम्बित हैं–निर्जीव संविधान पर नहीं। हमारी मान्यता तथा यश एक दूसरे के पारस्परिक स्नेह और आत्मीयता पर निर्भर है। जहाँ पारिवारिक भावना है, वहाँ संविधान पोषक बनता है और जहां इस भावना का अभाव है वहीं यह विघटनकारी हो जाता है। ईसा मसीह की आखिरी रात थी और वे शिष्यों को बहुत कुछ बताना चाहते थे पर शिष्य उनके पास पहुंचने के लिये एक दूसरे धक्का दे रहे थे। इस स्थिति को देखकर वे दुःखित होकर उठे और पानी लेकर अपने सभी शिष्यों के पाँव धोकर, पोंछकर भोजन के लिये बैठाया और अपने अखिरी संदेश में उन्होंने यही कहा कि जैसा प्रेम मैं तुम्हें दे रहा हूं उतना ही उत्कट प्रेम तुम एक दूसरे से करो ताकि दुनियाँ पहचान सकें कि तुम सब मेरे हो। यही हम सबके लिये भी संदेश है।

———

भारतीय मजदूर संघ का विधान पारित

सन् १९५५ (भोपाल) व १९५९ (बम्बई) के प्रतिनिधि सम्मेलनों में भारतीय मजदूर संघ के विधान का जो प्रारूप तय्यार हुआ था उसमें प्रदेश मंत्रियों के परामर्श से कुछ आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त इस प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन के सम्मुख उसे रखा गया। दिल्ली प्रदेश मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री व० प० जोशी एडवोकेट ने विधान की धाराओं को क्रमशः पढ़कर सुनाया, समझाया उपरान्त उसे पारित करने का प्रस्ताव किया। जिसका समर्थन उत्तर प्रदेश मजदूर संघ के महामंत्री श्री रामनरेशसिंह,ने किया और विधान को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

पदाधिकारियों का चुनाव

अध्यक्ष पद के लिए श्र अमलदार सिंह के प्रस्ताव व श्री चाँदरतन आचार्य के समर्थन के उपरान्त सर्वसम्मति से श्री दादा साहेब काम्बले (नागपुर) निर्वाचित किये गए।

श्री अमलदार सिंह के प्रस्ताव व श्री गोविन्दराव आठवले के समर्थन के उपरान्त उपाध्यक्ष पद के लिए तीन नाम सर्वश्री गजाननराव गोखले, वी० पी० जोशी व रमाशंकर सिंह सर्वसम्मति से निर्वाचित किये गये।

श्री वी० एन० साठ्ये के प्रस्ताव व श्री रामनरेश सिंह के अनुमोदन के उपरान्त सर्वसम्मति से श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी महामंत्री के पद पर चुने गये।

श्री पिम्पल खरे के प्रस्ताव तथा श्री गजानन राव गोखले के समर्थन पर सर्वसम्मति से ये तीन नाम सर्वश्री रामनरेशसिंह, ओमप्रकाश आग्गी व प्रभाकर घाटे मंत्री पद के लिए निर्वाचित किए गए।

श्री वी० एन० साठ्ये के प्रस्ताव व श्री गजाननराव गोखले के अनुमोदन के उपरान्त सर्वसम्मति से श्री मनहर मेहता कोषाध्यक्ष पद के लिए चुने गये।

अखिल भारतीय कार्यसमिति के शेष सदस्यों के नामों की घोषणा नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री दादा साहेब काम्बले ने की।

अखिल भारतीय कार्यसमिति

अध्यक्ष	श्री दादा साहेब काम्बले	[नागपुर]
उपाध्यक्ष	,, गजाननराव गोखले	[बम्बई]
,,	,, वी० पी० जोशी	[दिल्ली]
,,	,, रमाशंकर सिंह	[सिन्दरी-बिहार]
महामंत्री	,, दत्तोपन्त ठेंगड़ी	
मंत्री	,, रामनरेश सिंह	[कानपुर]
,,	,, ओमप्रकाश आग्गी	[लुधियाना]
,,	,, प्रभाकर घाटे	[मंगलोर]
कोषाध्यक्ष	,, मनहर मेहता	[बम्बई]
सदस्य	,, अरुमुगम्	[मद्रास]
	,, श्रीहरिराव	[गुन्टूर-आन्ध्र]
	,, गोविन्दराव आठवले	[नागपुर]
	,, रमन शाह	[बम्बई]
	,, रामभाऊ जोशी	[इन्दौर]
	,, चाँदरतन आचार्य	[जयपुर]
	,, डा० कृष्ण गोपाल	[फरीदाबाद-हरियाणा]
	,, रामकृष्ण भास्कर	[दिल्ली]
	,, रामदेव प्रसाद	[पटना]
	,, नरेशचन्द्र गांगुली	[कलकत्ता]
	,, रामप्रकाश मिश्र	[कानपुर]

श्री	अमलदार सिंह	[बम्बई]
,,	किशोर देशपाण्डेय	[बम्बई]
,,	सुधीरसिंह	[गोरखपुर तथा पटना]
,,	रघुनाथ तिवारी	[गौहाटी]
,,	सत्येन्द्रनारायण सिंह	[सम्भलपुर-उत्कल]
,,	आर० वेणुगोपाल	[कालीकट-केरल]
,,	केशव भाई ठक्कर	[बड़ौदा-गुजरात]

श्री वी० एन० साठ्ये (बम्बई) केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नियुक्त किये गये।

केन्द्रीय कार्यालय— राजेन बिल्डिंग पोईबावड़ी, परेल, बम्बई--१२

श्री दादा साहेब कामले की अध्यक्षता में निर्मित केन्द्रीय सलाहकार समिति

१—	श्री	वी० के० मुखर्जी	[लखनऊ]
२—	,,	रघुनाथ सहाय जैन	[गाजियाबाद-उत्तर प्रदेश]
३—	,,	हसदेव सिंह गौतम	[कानपुर]
४—	,,	यस० कृष्णय्या	[बंगलोर]
५—	,,	चमनलाल भारद्वाज	[दिल्ली]
६—	,,	मोहनराव गवन्डी	[पूना]
७—	,,	भाऊ साहेब वैद्य	[नागपुर]

———

भारतीय रेलवे मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति

१	अध्यक्ष—श्री विनयकुमार मुखर्जी	(लखनऊ)
२	उपाध्यक्ष—श्री रामकुबेरलाल	(गोरखपुर)
३	,, श्री एम० सोमशेखर राव	(सिकन्दराबाद)
४	महामंत्री—श्री अमलदार सिंह	(बम्बई)
५	कोषाध्यक्ष-श्री वी० जी० बर्वे	(बम्बई)
६	मंत्री— श्री वी० ए० प्रभु देसाई	(बम्बई)
७	मंत्री— श्री ए० सत्यनारायण	(विजयवाड़ा)
८	सदस्य— श्री रामनरेश सिंह	(कानपुर)
९	,, श्री बी० डी० तिवारी	(लखनऊ)
१०	,, श्री बालकृष्ण कपूर	(दिल्ली)
११	,, श्री राधेमोहन सक्सेना	(गोरखपुर)
१२	,, श्री बालेश्वर प्रसाद शर्मा	(जमालपुर)
१३	,, श्री आर० बी० मित्रा	(कलकत्ता)
१४	,, श्री वी० कृष्णराव	(सिकन्दराबाद)
१५	,, श्री जी० प्रभाकर	(मंगलोर)
१६	,, श्री दामोदर प्रसाद शर्मा	(कोटा)
१७	,, श्री आर०एन० शर्मा	(दिल्ली)
१८	,, श्री एस० एस० शुक्ला	(लखनऊ)
१९	,, श्री एम० एम० पाठक	(बम्बई)

केन्द्रीय कार्यालय—इब्राहीम मेन्शन
दूसरा माला, पोईवावड़ी
परेल, बम्बई–१२

———

भारतीय वस्त्रोद्योग कर्मचारी महासंघ (भारतीय टेक्सटाइल वर्कस फेडरेशन) की अखिल भारतीय कार्यसमिति

१	अध्यक्ष–	श्री हंसदेवसिंह गौतम	(कानपुर)
२	उपाध्यक्ष–	" बाबूलाल गौड़	(भोपाल)
३	"	" प्यारालाल बेरी	(अमृतसर)
४	महामंत्री–	" किशोर देशपाण्डे	(बम्बई)
५	मंत्री–	" के० अरमुगम्	(मद्रास)
६	"	" रामकृष्ण भास्कर	(दिल्ली)
७	कोषाध्यक्ष–	" गणपति भट्ट	(बम्बई)
८	सदस्य–	" महादेवराव जुनघरे	(नागपुर)
९	"	" भूपतराय पारिख	(अहमदाबाद)
१०	"	" बाबूलाल भानपूरे	(भोपाल)
११	"	" बालकृष्ण गुप्त	(भिवानी)
१२	"	" ओमप्रकाश गौतम	(हाथरस)
१३	"	" कल्याणसिंह रावत	(सहारनपुर)
१४	"	" फूलचन्द्र तिवारी	(वाराणसी)
१५	"	" हरीराम डागर	(दिल्ली)

क्षेत्रीय संगठन मंत्री—

१	श्री नामदेवराव घाटगे	(महाराष्ट्र)
२	श्री जयभगवान शर्मा	(दिल्ली--राजस्थान)
३	श्री सलेकचन्द्र	(उत्तर प्रदेश)
४	श्री प्रतापसागर	(पंजाब)
५	श्री नारायणसिंह परमार	(मध्य प्रदेश)
६	श्री व्यंकटराम	(दक्षिण भारत)

केन्द्रीय कार्यालय—राजेन बिल्डिंग, पोईवावड़ी, परेल, बम्बई–१२

अखिल भारतीय सुगर मिल मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्यसमिति

१	अध्यक्ष—	श्री यस० कृष्णैय्या, एडवोकेट	बंगलौर
२	उपाध्यक्ष—	श्री रामचन्द्र वर्मा, एडवोकेट	फैजाबाद (उ०प्र०)
३	उपाध्यक्ष—	श्री मोहनराव गवन्डी	पूना (महाराष्ट्र)
४	महामंत्र—	श्री सुधीर सिंह	गोरखपुर (उ०प्र०)
५	मन्त्री—	श्री दुर्गाप्रसाद तिवारी	सीवान (बिहार)
६	मन्त्री—	श्री ओमप्रकाश आग्गी	लुधियाना (पंजाब)
७	कोषाध्यक्ष—	श्री दिलीपनारायण सिंह	देवरिया (उ०प्र०)
८	सदस्य—	श्री शिवमंगलराय	देवरिया (उ०प्र०)
९	,,	श्री गोरखनाथ सिंह	गोरखपुर (उ०प्र०)
१०	,,	श्री रामलुभाया	फगवाड़ा (पंजाब)
११	,,	श्री बसन्त चान्देकर	चाल, जि०-अहमदाबाद (महाराष्ट्र)
१२	,,	श्री घनश्यामदास गुप्त	शामली, जि०-मुजफ्फर नगर (उ० प्र०)
१३	,,	श्री रामकृष्ण सिंह	पडरौना, जिला-देवरिया (उ० प्र०)
१४	,,	श्री मुद्रिकाप्रसाद पाठक	कप्तानगंज, जि०-देवरिया (उ०प्र०)
१५	,,	श्री नरेन्द्र शर्मा	सीहोर (मध्य प्रदेश)
१६	,,	श्री योगेन्द्र सोनी	सीवान, जिला छपरा

केन्द्रीय कार्यालय—जटेपुर पोखरा, गोरखपुर (उ०प्र०)

भारतीय इन्जीनियरिंग मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्यसमिति

१	अध्यक्ष–	श्री रघुनाथसहाय जैन	(गाजियाबाद)
२	उपाध्यक्ष–	" सरदार सुखनन्दन सिंह	(अम्बाला)
३	"	" तिलकराज शर्मा	(दिल्ली)
४	मंत्री–	" रमण शाह	(बम्बई)
५	सहमंत्री—	" रामकृष्ण त्रिपाठी	(कानपुर)
६	"	" रामकृष्णन	(मद्रास)
७	कोषाध्यक्ष–	" बी० एन० साठ्ये	(बम्बई)
८	संगठनमंत्री	" डी० मनोहर	(जमशेदपुर)
९	सदस्य–	" बेंकटराम	(बंगलोर)
१०	"	" श्यामसिंह चौहान	(लुधियाना)
११	"	" बाघसिंह	(जयपुर)
१२	"	" रामलुभाया	(अमृतसर)
१३	"	" परिमल	(कलकत्ता)
१४	"	" हरिकिशन पाठक	(दिल्ली)
१५	"	" रमेश सोनी	(भोपाल)
१६	"	" फूलचन्द तिवारी	(वाराणसी)
१७	"	" भैरवप्रसाद पाण्डेय	(कानपुर)
१८	"	" डी० एन० मलहोत्रा	(दिल्ली)
१९	"	" सलेकचन्द्र	(गाजियाबाद)
२०	"	" मनहर मेहता	(बम्बई)

केन्द्रीय कार्यालय—राजेन बिल्डिंग, पोईवावड़ी, परेल, बम्बई–१२

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्यसमिति

१	अध्यक्ष–	श्री मोहनराव गवन्डी	[पूना]
२	महामंत्री–	" रामप्रकाश मिश्र	[नागपुर]
३	कोषाध्यक्ष-	" रामेश्वर दयाल शर्मा	[आगरा]
४	सदस्य—	" जैतसिंह	[कानपुर]
५	"	" शमशेर बहादुर	[शाहजहाँपुर]
६	"	" श्रीकृष्ण गौड़	[मुरादनगर–उत्तर प्रदेश]
७	"	" यशपाल	[दिल्ली]
८	"	" वी० एस० मतंगे	[पूना]
९	"	" डी० एच० पटवर्द्धन	[भण्डारा]

केन्द्रीय कार्यालय— २, नवीन मार्केट, कानपुर

अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ की तदर्थ समिति

१	श्री	बदिकानाथ झा	[पटना] संयोजक
२	"	सत्येन्द्र नारायण सिंह	[सम्भलपुर–उड़ीसा]
३	"	मोहन सिंह	[चाँदवाड़ा–मध्य प्रदेश]
४	"	वेंकट सुबय्या	[गुन्टूर–आन्ध्र]
५	"	विनायक नायक	[रत्नागिरि–महाराष्ट्र]

केन्द्रीय कार्यालय— आर ब्लाक, फ्लैट १६९, रोड नं० ३, पटना–१.

अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ की तदर्थ समिति

१	श्री बी० एन० साठ्ये	(बम्बई) संयोजक
२	,, लाला रामशरण	(अजमेर–राजस्थान)
३	,, सलेकचन्द्र	(सहारनपुर)
४	,, दिनकर डबले	(औरंगाबाद)
५	,, अण्णा अकोटकर	(नागपुर)
६	,, चंदवासकर	(इन्दौर)

केन्द्रीय कार्यालय— राजेन बिल्डिंग

पोईबावड़ी, परेल, बम्बई--१२

श्री दादा साहेब काम्बले का

अध्यक्षीय भाषण

भाइयो और बहिनों,

मुझे जो विशेष सम्मान दिया गया है उसके लिए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ। मेरी कामना थी कि यह बोझ योग्य कन्धों पर होना चाहिये फिर जैसी आपकी इच्छा हुई, मैं इस प्रतापी संगठन के प्रधान पद से अपने कर्त्तव्यों का भरसक पालन करने का प्रयत्न करूँगा।

राष्ट्र के इतिहास में हम एक बहुत नाजुक समय में मिल रहे हैं। हमारे विरोध में चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश आक्रमण के विचार लेकर खड़े हैं। अतएव संगठन और एकता की हमें अत्यन्त आवश्यकता है। समाज के सभी वर्गों को एक साथ इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिये। चाहे कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री का मजदूर हो, दफ्तर में काम करता हो, खेतों का किसान हो, सभी को इस समय देश की सुरक्षा के लिये कमर कसना होगा। भारतीय मजदूर संघ को जिसका प्रारम्भ अभी १९५५ में हुआ है, देश के श्रमिक आन्दोलन में राष्ट्रभक्ति की भावना की कमी को पूरा करना है। जो श्रमिक आन्दोलन अपने देश में अभी तक चल रहा था उसकी जड़ें विदेशों में थीं। श्रमिक आन्दोलन में तथा उसके विकास में राष्ट्रीय प्रवृत्ति का उपयोग नहीं किया जा रहा था। श्रमिक आन्दोलन अभी तक उन्हीं व्यक्तियों द्वारा चलाया व पनपाया गया था जो साम्यवादी देशों से ही प्रेरणा लेते रहे। श्रमिक नेताओं ने इस विषय पर विचार ही नहीं किया कि राष्ट्र हित को प्राथमिकता देकर भी श्रमिक समस्या का हल हो सकता है। भारतीय मजदूर संघ को इसलिए वर्तमान श्रमिक आन्दोलन में एक विशेष भूमिका निभानी है। राष्ट्रीय हितों को किसी भी स्थिति में दुर्लक्ष्य

नहीं किया जा सकता है। यदि राष्ट्र खतरे में होगा तो देश का कोई वर्ग सुरक्षित नहीं रहेगा। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व ने विशेष रूप से श्री ठेंगड़ी जी जो मजदूर क्षेत्र में मसीहा बनकर आये हैं धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने मजदूर समस्या का सही चित्रण रखकर इस कमी की पूर्ति के लिए नये सगठन के प्रवेश का विचार किया। भारतीय मजदूर संघ के प्रारम्भ तक कार्ल मार्क्स और लेनिन श्रमिक नेताओं के लिये देवता बन गये थे और उनके सिद्धान्तों को ही केवल श्रमिक आन्दोलन के लिए देखा माना जाता था। हमारे राष्ट्र के लिए क्या वे सिद्धान्त उचित उपयोगी होंगे–ऐसा किसी ने भी विचार नहीं किया था। इसे दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि जिन नेताओं ने श्रमिक आन्दोलन की बागडोर सम्हाली उन्हें भारतीय दर्शन, भारतीय जीवन और संस्कृति के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। जो समाज के चतुर्मुखी विकास का द्योतक है और श्रमिक समस्या उससे भिन्न नहीं है, वे केवल यह मानकर चले कि श्रमिक आन्दोलन एक नवीन कृति है जिसका प्रस्फुटन पश्चिमी देशों में हुआ और जहाँ भी वृहद् रूप में औद्योगीकरण हो वहाँ पश्चिम का मार्गदर्शन ही आवश्यक है। श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने भिन्न दिशा में विचार प्रारम्भ किया और भारतीय भूमिका में ही श्रमिक समस्याओं का हल सम्भव है ऐसी क्रान्ति श्रमिक आन्दोलन में की। उन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की कि वर्ग संघर्ष का नारा गया गुजरा नारा है और श्रमिक समस्या के हल के लिए समाज में वर्ग खड़े करना आवश्यक नहीं है। श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने साम्यवादी सिद्धान्तों को उखाड़ फेंकने के लिए हमें बहुत कुछ प्रदान किया है। साम्यवादी सिद्धान्तों के हानिकारक प्रश्रय से दूर श्रमिक आन्दोलन चलाने में उन्होंने नई दिशा दी।

इस संगठन की जिसकी नीव मुट्ठी भर लोगों के द्वारा १९५५ में भोपाल में पड़ी थी, आज कन्या कुमारी से हिमालय और द्वारिका से जगन्नाथपुरी तक समस्त भारत में शाखायें व्याप्त हो गई हैं। भारत के प्राय: सभी राज्यों में इसकी शाखाएँ हो गई हैं। सारे देश की ५४१

यूनियनें इससे सम्बन्धित हो चुकी हैं, जिनमें निजी व सार्वजनिक दोनों उद्योगों की यूनियनें हैं। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारी कर्मचारियों ने भी भारतीय मजदूर संघ के सिद्धान्तों का स्वागत किया है और इस संगठन का कुशल नेतृत्व भी स्वीकार करने के लिए वे अग्रसर हुये हैं। अखिल भारतीय महासंघ भी इससे सम्बद्ध हो चुके हैं। जिसमें रेल का एक बड़ा भाग सम्मिलित है। इस रेल महासंघ की शाखायें समस्त रेलवे पर फैल चुकी हैं और उसकी कुल सदस्य संख्या ८१,६५० है। चीनी मिलों के महासंघ द्वारा ५,८५१ सदस्य संख्या इसे प्राप्त है। इंजीनियरिंग कर्मचारियों के महासंघ द्वारा १५,००० और टेक्सटाइल उद्योग के महासंघ द्वारा ४५,३०० की सदस्य संख्या इसे प्राप्त हुई है। प्रतिरक्षा महासंघ जो अभी इससे सम्बद्ध हुआ है अभी प्रारम्भिक अवस्था में है।

कर्मचारियों में भारतीय मजदूर संघ के सिद्धान्त किस प्रकार पैठते हैं इसको बैंक उद्योग में जहां एटुक और इंटक की यूनियनें ही कार्य कर रही थीं वहां के कर्मचारियों ने यह महसूस किया कि उनकी राष्ट्रीय अभिलाषा और मांगों की पूर्ति इन दोनों संगठनों द्वारा सम्भावित नहीं है इसलिए १९६४ में तृतीय संगठन का जन्म हुआ जिसे 'नेशनल आर्गेनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स' के नाम से सभी लोग जानते हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय मजदूर संघ सभी सार्वजनिक व निजी उद्योगों व सभी राज्य के कर्मचारियों में स्थान प्राप्त कर रहा है। जीवन की प्रत्येक गतिविधि में राष्ट्रीय चेतना अत्यन्त आवश्यक है, यह कार्य भारतीय मजदूर संघ कर रहा है। यह सर्वत्र अनुभव में आया है कि राष्ट्र भावना से प्रेरित कर्मचारियों ने अराष्ट्रीय भावना वाले अपने साथियों के प्रति सदैव ही विद्रोह किया है और इसका श्रेय भारतीय मजदूर संघ को जाता है जिसने कर्मचारियों की मनोवृत्ति में इस परिवर्तन को जन्म दिया। इस समय इस संगठन की कुल २ लाख ४६ हजार सदस्य संख्या है।

वर्तमान काल में श्रमिक समस्याओं के हल के लिए हमारी निम्नलिखित नीतियां हैं :—

(१) श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण हो
(२) राष्ट्र का औद्योगीकरण हो
(३) उद्योगों का श्रमिकीकरण हो

उपर्युक्त तीन नारों के सम्बन्ध में अधिक बतलाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह स्वयं स्पष्ट है। वास्तव में समस्त श्रमिकों के आदर्शों को इन्हीं नारों के अन्दर गुत्थो किया जा सकता है।

यदि देश की समस्त जनता उपर्युक्त तीनों नारों का आशय ग्रहण करले तो यथार्थ अहिंसक क्रान्ति लाई जा सकती है। श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें प्रेरणा देने की आवश्यकता है। जब तक कर्मचारी को यह विश्वास नहीं होता है कि उसका हित और राष्ट्र का हित एक दूसरे से जुड़े हैं—अन्योन्याश्रित हैं, और जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही उसका वैयक्तिक लाभ भी होगा, वह अधिक उत्पादन करने के लिये पूर्ण सहयोग देगा—ऐसी आशा नहीं की जा सकती। अपने देश में औद्योगीकरण के विकासावस्था में यह स्पष्ट लक्षण अनुपस्थित रहा जिसके परिणामस्वरूप मजदूर विरोधी शक्तियों ने ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जिसने राष्ट्र और मजदूर दोनों हितों को खतरा पैदा कर दिया। श्रमिक नेताओं ने उस समय इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। यातो वे श्रमिक आन्दोलन के सुलझाव को समझ नहीं सके अथवा वे अपने कर्त्तव्यों के पालन में अयोग्य रहे। श्रमिकों में जो असंतोष आज व्याप्त है उसका मूल कारण सरकार की श्रम सम्बन्धी गलत नीतियाँ हैं। भारतीय मजदूर संघ को अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण आस्था है और वह श्रम आन्दोलन में निश्चित परिवर्तन लाना चाहता है, जिससे राष्ट्र हित को प्राथमिकता प्रदान करते हुये मजदूर हितों का संरक्षण सम्भव है। वर्ग संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए समाज में तोड़-फोड़ न करते हुए एक स्वस्थ परिवर्तन जिसमें दोनों हितों

का संरक्षण हो, लाना इसका उद्देश्य है। भारतीय मजदूर संघ हड़ताल का विरोधी नहीं है, वरन् इसका उपयोग अंतिम शस्त्र के नाते होना चाहिये जबकि कष्ट निवारण के सभी वैधानिक पद्धतियाँ विफल हो जावें। इससे सम्बन्धित यूनियनों ने अपने उद्योगों में हड़तालें की हैं जहाँ उन्हें करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय मजदूर संघ जहाँ तक सम्भव है समझौता वार्ता द्वारा समस्या हल करने के पक्ष का समर्थन करता है।

विभिन्न समस्याओं के हल के लिए भारतीय मजदूर संघ किस प्रकार अपना कदम उठाता है उसका उदाहरण भारतीय रेलवे मजदूर संघ के प्रतिनिधित्व में गजेन्द्र गड़कर आयोग के समक्ष उसके प्रतिवेदन (Representation) में देखा जा सकता है जिसमें श्री जी० एस० गोखले ने कहा कि ९० प्रतिशत मंहगाई कर्मचारियों के वेतन में हुई वृद्धि से श्रमित हो जाती है किन्तु जहाँ तक '७० से १९० रु० के वेतन स्तर का सम्बन्ध है यह शमन ९० से ५६ प्रतिशत तक का अन्तर रखती है जिसका परिणाम यह है कि सरकार का यह शमीकरण कर्मचारियों के प्रारम्भिक वेतन स्तर की तुलना में उच्चतम वेतन स्तर के साथ मेल नहीं खाता।

भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि मजदूरों ने केवल उसी समय मजबूर होकर अधिक वेतन की माँग की जब मूल्य सूचकांक में बढ़ोत्तरी हुई। बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने का कार्य सरकार का है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त शासन व्यवस्था रहती है। रिजर्व बैंक का गवर्नर इस दिशा में प्रभावी कदम उठा सकता है। यदि गवर्नर अपना उचित कर्त्तव्य पालन नहीं कर सकता तो उसे हटाया जा सकता यदि वह सरकार के समक्ष वास्तविक वित्तीय चित्र उपस्थित करता है तो सरकार को उस पर विचार करना चाहिये। इसमें स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के सुझावों की कोई कद्र नहीं की जाती है अन्यथा बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जा सकता था। सर्वप्रथम प्रश्न यह था कि

जीवन निर्वाह निर्देशक की वृद्धि के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करना चाहिए था और तब स्थायी हल निकालना चाहिये। मंहगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी कर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। प्रतिनिधियों ने आगे बताया कि इसी प्रकार की समस्यायें दूसरे देशों की भी हल हुई है और हमारी सरकार को उन देशों से सबक लेना चाहिये। अभी सरकार ने श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया है जिसके अध्यक्ष श्री गजेन्द्र गड़कर है। उन्होंने विस्तार रूप से एक प्रश्नावली प्रसारित की है। भारतीय मजदूर संघ निश्चित रूप से उसका उत्तर प्रस्तुत करेगा। भारतीय मजदूर संघ की राय में एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाना चाहिए जिसमें श्रमिकों, प्रबन्धकों और सरकार का प्रतिनिधित्व हो और विस्तार पूर्वक श्रम सम्बन्धी नीति पर विचार कर निर्णय लेना चाहिए ताकि श्रम विवादों का सही हल निकल सके। चूंकि वर्तमान वेतन प्रणाली जीवन यापन के वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं है। इसीलिये भारतीय मजदूर संघ का विचार हैं वेतन प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और एक स्थायी राष्ट्रीय वेतन सलाहकार समिति (स्टेन्डिंग नेशनल कौंसिल) होना चाहिए। सरकार को इस दिशा में शीघ्र ही कदम उठाना चाहिए। अधिकतम और न्यूनतम वेतन के बीच की गहरी खाई को कम होना चाहिए। हमारा कहना है कि अधिकतम और न्यूनतम में एक और दस के अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिये। मजदूरों की वर्तमान समय में अनेक कठिनाइयाँ हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे–खाने को भोजन, पहिनने को कपड़ा और रहने को मकान भी स्वप्निल है। सर्वसाधारण को नौकरी की समस्या और विशेष कर शिक्षित वर्ग के लिए भयानक हो गई है। पिछली तीन पंच वर्षीय योजनाओं में बेकारों की गिनती अधिक बढ़ गई है। सर्वसाधारण की आर्थिक दशा और विशेषकर मजदूरों की बड़ी तेजी से गिरती जा रही है। इसमें सुधार एक महती कार्य है। और राष्ट्रीय शक्तियों को इस चुनौती को स्वीकार करने के लिये तत्पर रहना चाहिए।

जहाँ हम अधिक उत्पादन पर अधिक बल देते हैं तो सर्वत्र उत्पादन के ढेर भी मिलते हैं जो सड़ रहे हैं और जिनकी खपत नहीं है। इस भयानक स्थिति को कैसे बदला जावे, इसके लिए उपयुक्त विचार और कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। यदि उद्योग बन्द हो गये और अधिक मात्रा में मजदूरों की छटनी कर दी गई तो इससे राष्ट्र में कठिनाइयों की वृद्धि ही होगी। भा० म० संघ इसलिए मांग करता है कि हमारी आर्थिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे अधिक हाथों को नौकरी मिले और कृषि-प्रधान होनी चाहिए। यदि पंचवर्षीय योजनाओं ने सर्व साधारण को कोई लाभ नहीं पहुंचाया तो वह देश के लिए बेकार है। ऐसी योजनाओं से जनता को कोई उत्साह नहीं मिलेगा।

यदि योजनाओं का उद्देश्य साधारण जनता के जीवन स्तर को बढ़ाना है तो जैसा कि तीन पंचवर्षीय योजना से सिद्ध हुआ है वह उद्देश्य पूरा नहीं होता। भा० म० संघ इसलिए चाहता है कि आर्थिक नीति द्वारा सर्व साधारण के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना चाहिए न कि कुछ थोड़े से लोगों का।

भा० म० संघ चाहता है कि मजदूरों के जीवन स्तर में वृद्धि हो चाहे वह किसी जाति व धर्म का मानने वाला हो मैं इस विशाल राष्ट्र के सभी मजदूरों से अपील करता हूँ कि वे भारतीय म० संघ के झंडे के नीचे एकत्रित हों और इस संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक बनें। मैं मजदूरों से अपील करता हूँ कि वे ऐसी नीतियों के पीछे न चलें जो विदेशों में जन्मी हैं। यदि राष्ट्र का पतन होता है तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। सभी मजदूरों को इस नीति को ग्रहण कर लेना चाहिए और इस संगठन के पीछे मजबूती से खड़े होकर इस नवीन नीति को अपनाना चाहिए। सभी कर्मचारी इस प्रेरणादायक संगठन के प्राण झंडे के नीचे उन्नति शील हों।

॥ जय भारत ॥

उ० प्र० के स्वायत्त शासन मंत्री श्री वरमेश्वर पाण्डेय

का भाषण

हम एक परिवार के हैं। सब समान हैं। मैं आज जो कुछ बना हूँ, उसमें मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मुझे तो मात्र आज्ञापालन करना है। हम जहाँ कहीं भी किसी काम में लगे हों, वहीं ईमानदारी और लगन से काम करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुये यूनियनों को रजिस्ट्रेशन के दो वर्ष तक विवादों के प्रतिनिधित्व के लिये लगी रोक को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी इसी दृष्टि से कुछ परिवर्तन करने का सोचा जा रहा है। विवादों के शीघ्र निर्णय के लिये भी हमारी सरकार प्रयत्नशील है।

दिल्ली प्रशासन के कार्यकारी पार्षद (श्रम विभाग)

श्री अमरचन्द्र शुग का भाषण

मजदूरों को गुमराह करने वालों से हम सावधान रहें। मजदूरों के आन्दोलन जहां उनकी मांगों से सम्बन्धित हों वहीं उन्हें देश-भक्ति के भाव भी रखने होंगे। सभी आन्दोलनों की तह में राष्ट्र के उत्थान सम्बन्धी मूलभूत भावों को गहराई तक बैठाना होगा। अधिकार के साथ ही कर्तव्य भी रहता है। मालिक का धर्म है वेतन देने का और मजदूर का धर्म है काम करने का। न कर्तव्य और न ही अधिकार वरन् धर्म का पालन करना यही भारतीय पद्धति है। अभी मुझे ४ मास ही हुये हैं इस पद पर कार्य सम्हालते। पहले २० प्रतिशत विवाद अभि-निर्णय के लिये भेजे जाते थे। संराधन अधिकारी ही Prima facie के

नाम पर ट्रिब्यूनल का काम कर लेते हैं। अब Justiciable सभी मामले ट्रिब्यूनल को भेजे जाते हैं। मालिकों की धांधली के कुछ मामले सामने आये हैं जिसमें वे हड़तालों को गैर कानूनी घोषित करने में अपनी discretion का इस्तेमाल किये हैं। श्रम आन्दोलनों का एक रूप भारतीय मजदूर संघ है। सबसे भिन्न उसका आन्दोलन है। सीमाएं और आदर्श लेकर हमें चलना है। सुविधाएं तो अवश्य चाहियें पर मूल संस्कृति से अलग होकर नहीं चल सकतीं। सभी बातें Nation Oriented हों। चाहे कारखानेदार हों चाहे श्रम आन्दोलन कर्ता हों—जो भी राष्ट्र विरोधी हों—समाप्त करने होंगे।

मा० श्री माऊराव देवरस द्वारा प्रतिनिधियों को मार्ग-दर्शन

कार्यकर्ताओं का आग्रह है कि संगठन के सम्बन्ध में और अन्य प्रासंगिक कुछ बातें मैं रखूं, अतः अधिक समय न लेकर मैं सामान्य बातें ही रखूंगा। ऐसे अधिवेशनों में चुनौती भरे बड़े बड़े प्रस्ताव पारित करके हम समझते हैं कि काम पूरा हो गया। विघटन का वायुमण्ल चल रहा है, प्रान्त के नाम पर, भाषा के नाम पर, अलगाव की वृत्ति जागृत की जा रही है। यद्यपि यह प्रवृत्ति राजनैतिक क्षेत्र में अधिक है तो भी ऐसे वातावरण के बीच हमें अपना कार्य खड़ा करना है।

हमारी प्रेरणा

यह कठिन कार्य अवश्य है पर हमें सोचना होगा कि हमारी प्रेरणा क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलिप्सा, मान सम्मान की भूख लेकर चलने वाले कार्यकर्ता, किसी महान लक्ष्य को लेकर नहीं चल सकते। हमने महान लक्ष्य रखा है अतः पहले अपनी जीवन प्रेरणाओं का ज्ञान करें।

राजनीति से दूर

आजकल अनेक संगठन चलते हैं। नाम चाहे किसान का हो अथवा मजदूर का, पर वे किसी न किसी राजनैतिक दल के पिछलग्गू होते हैं। उनके उद्देश्य भिन्न और कार्य भिन्न होते हैं-ऐसे कार्य या संगठन खड़े नहीं हो पाते। आप सब कार्यकर्ताओं के सामने एक लक्ष्य चाहिये। राजनैतिक दलों से पृथक रहकर काम करना चाहिए। राजसत्ता पाने के लिए जो भी मंच सुगमता से मिल सके वह मंच पकड़ना यह अपने कार्यकर्ताओं की दृष्टि नहीं है। यद्यपि राजनीति के माध्यम से अन्य बहुत सी चीजें प्राप्त हो सकती हैं, किन्तु उस दुर्बलता को त्याग कर बिना अन्य किसी और उद्देश्य के अपनाये अगर हम कार्य करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी।

आत्म निर्भरता आवश्यक

किसी भी संगठन को साधनों की आवश्यकता रहती है। पर संगठन में अर्थ की प्रधानता उसके निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। संगठन के कार्यकर्ता और तथा अर्थ का योग कहीं और से प्राप्त होना यह कार्य को चौपट कर देने वाली बात है। साधन प्रधानता आते ही संगठन चला पाना सम्भव नहीं होता। जो संगठन स्वय अपने प्रयास से साधन जुटाते हैं वे ही सफलतापूर्वक चल पाते हैं। संगठन को सदैव ही अपने पैरों पर खड़े होने की सामर्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिये। तभी उसकी नीति स्वतंत्र रह सकती है।

योग्य व्यवहार

संगठन के लिये योग्य व्यवहार भी बड़ा जरूरी है। बातचीत में शब्द प्रयोग का बड़ा भारी महत्व है। मन में कुछ न रहते हुये भी वाणी पर संतुलन रखना होगा। जहाँ कार्यकर्ता में यह भाव आ जाता

है कि हम नेता हैं और अन्य अनुयायी–वहीं गड़बड़ी प्रारम्भ हो जाती है। दूसरों के विचार सुनने की तैय्यारी चाहिये। मैं जो कहता हूँ, वही ठीक–अन्य जो कह रहे हैं–वह ठीक नहीं है, यह बात संगठन को खड़ा करने में बाधक होती है। हमारे अन्दर सहनशीलता चाहिये और दूसरे की भावनाओं का आदर करने की तत्परता।

आत्मीयता का भाव

साधारण रूप से लोकतंत्रानुसार हम लोग विरोध करें, अपनी बात रखें, सभी पहलुओं पर विचार करें, सबका मत लें। किन्तु किसी पर छींटाकशी न करें। संगठन-शास्त्र का यही नियम है कि आत्मीय भाव व आत्मीयता से सबके साथ व्यवहार करें। कोई भी कार्यकर्ता जिम्मेवारी से, निस्वार्थ भाव से जब काम करता है तो सारी बातें उसके जीवन में स्वतः आ जाती हैं।

रचनात्मक दृष्टि

मजदूर क्षेत्र का कार्य आन्दोलनात्मक होने के बाद भी रचनात्मक दृष्टि आवश्यक है। अधिकारों और सुविधाओं के लिये जहां संघर्ष करना जरूरी है वहां रचनात्मक कार्यों की भी आवश्यकता है–इसका आप सब विचार करें, तभी संगठन पूर्ण होगा।

आप इन सब बातों पर विचार करें और अपने अपने क्षेत्र में जाकर उसे अमल में लावें यही मेरा आग्रह है।

अधिवेशन में पारित प्रस्ताव

चीनी उद्योग कर्मचारियों सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय मजदूर संघ की यह अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा देश भर के चीनी उद्योग की द्रुतगति से गिरती अवस्था पर घोर चिन्ता व्यक्त करती है तथा केन्द्र सरकार से यह माँग करती है कि वह एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञों की समिति नियुक्त कर उद्योग की ह्रासावस्था के कारणों की जांच कराये तथा उनकी सिफारिशों को लागू कर उद्योग को विनाश की ओर जाने से बचाये।

प्रतिनिधि सभा द्वितीय चीनी वेतन आयोग की देर करने की नीति की भर्त्सना करती है जोकि एक वर्ष की अवधि में भी अन्तरिम सहायता जैसी अत्यावश्यक माँगों का फैसला न कर लाखों मजदूरों के हकों पर कुठाराघात कर रही है। प्रतिनिधि सभा केन्द्र सरकार से मांग करती है कि वह देश-व्यापी चीनी उद्योग के भाग्यविधाता श्रमिकों के लिये ४० प्रतिशत की अन्तरिम सहायता, स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति, वर्तमान बढ़े मूल्यों के अनुसार मंहगाई भत्ता, सम्पूर्ण उद्योग के लिये एक स्थायी आदेश, विवादों का अनिवार्य अभिनिर्णय, उत्पादन पर बोनस, वेतन का आधा रिटेनिंग भत्ता, वर्ष में एक माह की ग्रेच्युटी, निःशुल्क आवास एवं चिकित्सा व्यवस्था, ६० वर्ष पर सेवा मुक्ति, रिक्त स्थानों पर मजदूर परिवारों में से भर्ती, अनुभव के आधार पर पदोन्नति, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, अधिक से अधिक दो वर्षो से कार्य में लगे मजदूरों की सेवा का स्थायित्व, प्रोत्साहन भत्ता, प्रथम वेतन आयोग द्वारा प्रदत सुविधाओं को बनाये रखना, मिल प्रबन्ध में साझेदारी, समस्त सीजनल कर्मचारियों को मार्ग व्यय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के समान बीमा योजना, उच्चशिक्षा प्राप्त करने की सुविधा, मजदूर सन्तानों

को प्रवेशिका तक निःशुल्क शिक्षा, महासंघों के अधिवेशनों एवं औद्योगिक विवादों में सवैतनिक अवकाश, रुग्नावकाश को तीन वर्षों तक संचित करने का नियम तथा भविष्यनिधि को सेवा मुक्ति के तत्काल बाद अदा कर देने का नियम बनाया जाय। जिससे मजदूर लाभान्वित होकर चीनी उद्योग को विकासोन्मुखी बनाये रखकर राष्ट्रसेवा में योगदान कर सकें।

प्रस्तावक : सुधीर सिंह
समर्थक : दिलीप नारायण सिंह

इंजीनियरिंग उद्योग मजदूरों सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय मजदूर संघ की प्रतिनिधि सभा का यह सम्मेलन इन्जीनियरिंग वेज बोर्ड द्वारा दिलायी गयी अंतरिम सहायता के निर्णय को भी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू कराने में बरती गई ढिलाई और अपेक्षापूर्ण नीति की तीव्र भर्त्सना करता है तथा इन्जीनियरिंग वेज बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष दिलाई गई अंतरिम सहायता के पश्चात पुनः अत्यधिक महगाई बढ़ जाने के कारण हुई वेतन अपर्याप्तता को समाप्त करने और कर्मचारियों को राहत देने के लिए द्वितीय अंतरिम सहायता दिलाये जाने की सर्व सम्मति से मांग करता है। प्रत्येक अवसर पर महगाई बढ़ौत्तरी और उसके प्रतिफलस्वरूप कर्मचारियों को अंतरिम सहायता दिए जाने के सतत चलने वाले दुष्चक्र को सर्वथा समाप्त करने के लिए यह अधिवेशन वेज बोर्ड से शीघ्रातिशीघ्र अंतिम निर्णय देने की जोरदार शब्दों में माँग करते हुए केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता है कि वह आवश्यक कानूनी व्यवस्था करके सम्पूर्ण अंतरिम सहायता को कर्मचारियों के मूल वेतन में सम्मिलित करावे।

प्रतिनिधि सभा का यह निश्चित मत है कि इन्जीनियरिंग वेज बोर्ड की सिफारिशों से बच निकलने के अप्रामाणिक मनसूबे से प्रेरित हो कर सरकारी गलत नियोजन के कारण इन्जीनियरिंग उद्योगपतियों द्वारा

बनावटी काम की कमी के नाम पर सम्पूर्ण इन्जीनियरिंग उद्योग में कर्मचारियों की सामूहिक छटनी का षड़यंत्र बनाया जा रहा है। उसे अविलम्ब रोका जाना चाहिए अन्यथा यदि समय रहते सरकार कर्मचारियों में फैल रहे असंतोष को रोकने में समर्थ न हुई तो उसके परिणाम स्वरूप जो विस्फोटक स्थिति पैदा होगी उसके लिए सरकार और उद्योगपति दोनों समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

प्रस्तावक : रामकृष्ण त्रिपाठी
अनुमोदक : रमन शाह

प्रतिरक्षा कर्मचारियों सम्बन्धी प्रस्ताव

भारत में प्रतिरक्षा कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जहां पाकिस्तान और चीन दोनों भारत पर कुदृष्टि लगाए हैं। हमारा यह परम कर्तव्य है कि देश का आंतरिक गठन बनाए रखें और सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहें। इन परिस्थितियों में प्रतिरक्षा कर्मचारियों की छंटनी व पदावनति कर उनमें असंतोष पैदा करना, सेवा मुक्ति में मनमानी हेर फेर करना, औद्योगिक व अनुद्यौगिक भेदभाव रखना, आवाज, चिकित्सा एवं कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करने के प्रति उपेक्षित भाव रखना, समान कार्य के लिए समान वेतन न देना, किसी भी श्रेणी के अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति न करना और विवादों को निपटारे हेतु समझौता का मार्ग भी बन्द कर देना, प्रतिरक्षा कर्मचारियों को जिनपर कारखाना कानून लागू है उन्हें भी बोनस न देना, डी० जी० ओ० एफ० तथा डी० जी० आई० में यू० डी० सी० व एल० डी० सी० के अनुपात में विषमता रखना, क्लोरिंग फैक्ट्री कर्मचारियों को प्रतिरक्षा कारखानों से अलग कर अन्य समस्यायें उत्पन्न करना, ठेके पर काम देकर कर्मचारियों के खाली हाथों को वेकार करना व उनका वेतन घटाना उचित नहीं है।

निःसंदेह इन सब समस्याओं से प्रतिरक्षा कर्मचारियों में असंतोष और क्षोभ का वातावरण बनता है। सरकार व संबंधित अधिकारियों के इस निन्दनीय रवैये पर भारतीय मजदूर संघ का यह प्रथम प्रतिनिधि सम्मेलन अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए निन्दा करता है और माँग करता है कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों की छंटनी व पदावनति अविलम्ब रोकी जाय, सेवामुक्ति में मनमाने हेरफेर का रवैया समाप्त किया जाय तथा औद्योगिक व अनौद्योगिक कर्मचारियों के विभेद को बन्द करके उनके लिए आवास, चिकित्सा व उनके बच्चों की शिक्षा आदि की समुचित व्यवस्था की जाय, समान कार्य के लिए समानवेतन व वेतनक्रम दिया जाय तथा विवादों के अविलम्ब निपटारे हेतु न्यायाधिकरण की व्यवस्था की जाय।

यह प्रतिनिधि सम्मेलन प्रतिरक्षा कर्मचारियों को जिन पर फैक्ट्री ऐक्ट लागू है उन्हें बोनस दिए जाने तथा डी०जी०ओ०एफ० और डी० जी०आई० में यू०डी०सी० तथा एल०डी०सी० के अनुपात की विषमता को समाप्त किए जाने की माँग करते हुए क्लोदिंग फैक्ट्री के कर्मचारियों को आर्डिनेन्स फैक्ट्री से अलग करके, उनके लिये छटनी तथा अन्यान्य समस्याओं को उत्पन्न किए जाने सम्बन्धी गलत कदम को रोके जाने की पुरजोर मांग करता है।

यह प्रतिनिधि सम्मेलन ठीकेदारी प्रथा को अविलम्ब समाप्त करके कर्मचारियों के खाली हाथों को काम देकर बेकारी दूर किये जाने की मांग करता है साथ ही यह प्रतिनिधि सम्मेलन सीधी भर्ती को रोक कर कर्मचारियों को योग्यतानुसार पदोन्नति प्राप्त करने का अवसर दिए जाने तथा पीसरेट कर्मचारियों का रेट कम न किए जाने का आग्रह करते हुये आर्डिनेन्स फैक्टरीज में लेबरर्स को भी मेट आदि अन्य पदों पर पदोन्नति किये जाने की मांग करता है।

प्रस्तावक–रामप्रकाश मिश्र
समर्थक– मनोहरराव गवन्डी

टेक्सटाइल उद्योग मजदूरों सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय मजदूर संघ की अ० भा० प्रतिनिधि सभा का यह स्पष्ट मत है कि भारत का सबसे पुराना उद्योग अर्थात् टैक्सटाइल उद्योग आज शोचनीय अवस्था में चल रहा है। एक ओर तो अधिक से अधिक कारखाने खुल रहे हैं, करघे और तकले बढ़ाये जा रहें हैं तो दूसरी ओर कपड़े का उत्पादन लगभग पहले जितना ही है। लोगों की कपड़े की माँग तो बराबर बढ़ रही है परन्तु प्रतिव्यक्ति कपड़े की उपलब्धि कम है। कपड़ा उद्योग में काम करने वाले कामगारों की संख्या में भी कमी आ रही है। रूई का उत्पादन वस्त्र उद्योग के लिए कम है। उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के सिर के ऊपर छटनी और वेतन कटौती की तलवार लटक रही है। इन सब का कारण केवल भारत सरकार की २० वर्षो से अपनाई गई अदूरदर्शितापूर्ण नीति और कठोर सिद्धांत हैं। सरकार बुरी तरह असफल रही है और उसने आने वाले समय में होने वाली समस्याओं की ओर बिल्कुल ध्यान न देकर अयथार्थतापूर्ण नीति को अपनाया है। १९५७-५८ में कपड़ा उद्योग में उठने वाली समस्याओं के कारणों को दृष्टिगत रखते हुए 'जोशी कमीशन' नियुक्त किया था परन्तु सरकार ने उसकी सिफारिशों को भी लागू नहीं किया।

सरकार स्वयं ही उद्योगपतियों या कपास के बड़े बड़े जमीदारों एवं थोथे सिद्धांतवादियों के दबाव में आकर कार्य करती रही है। सरकार के इन कार्यों का परिणाम यह हुआ है कि उद्योग में बेकारी और मजदूरों के वेतन कम हुए हैं साथ ही उद्योग में स्थायित्व की कमी आई है।

कारखानों का बंद होना तो रोज का ही काम हो गया है। बहुत मिलें बन्द हैं और बहुत सी बन्द होने की स्थिति में हैं। बड़ी बड़ी बातें बनाने के अतिरिक्त सरकार ने क्रियात्मक रूप में बहुत ही कम कार्य किया है। मोटे तौर पर मिलें बंद होने के कारण मुख्य रूप से ये हैं :

(१) पुरानी मशीनरी
(२) मिलों का कुप्रबंध
(३) धन की कमी

कारण कुछ भी हों सरकार असहाय दर्शक की भाँति बनी हुई है। इस स्थिति में मजदूरों द्वारा संघर्ष करने पर सरकार मिलों को अपने अधिकार में ले लेती है। इस पर भी सरकार आदर्श मालिक के रूप में काम नहीं करती, यहां तक कि मजदूर कानूनों का उल्लंघन भी सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार की इस नीति से उत्साहित होकर समाज विरोधी मिल मालिकों ने अधिक से अधिक लाभ उठाया है और उद्योगों में दिवाला की घोषणा की है। इस सम्बन्ध में ऐडवर्ड मिल्स और माधव मिल्स बम्बई का उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है। अत्यधिक लाभ के लालच में खाली भूमि को दिवाला से पहिले बेचकर मालिकों ने उद्योगों को हानि पहुंचाई है। यह कार्य अहमदाबाद और बम्बई जैसे नगरों में हुआ-ऐसे कार्यों द्वारा औद्योगिक शांति को बहुत बड़ा खतरा है।

टैक्सटाइल मिलों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के सिद्धांत को मजदूर सम्मेलनों में विचार किया गया। मालिकों, मजदूरों और सरकार ने यह स्वीकार किया था कि मजदूरों को हानि पहुंचाए बिना नवीनीकरण होने चाहिए। कई कारखानों में नवीनीकरण किया गया परन्तु किसी प्रस्ताव या समझौता को सामने न रख कर मालिकों ने मनमानी करके नवीनीकरण से होने वाले लाभ को मजदूरों में उचित रूप से नहीं बांटा। नवीनीकरण से बेकार होने वाले मजदूरों को बदले में काम भी न दिया। इन सभी कामों में सरकार सोती रही और किसी कार्य में भी हस्तक्षेप नहीं किया और मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात होते देखती रही।

यहां तक कि टैक्सटाइल उद्योग में पिछले छः वर्षों में जहां उत्पादन बढ़ा है वहीं मजदूरों का वेतन घटा है। वस्त्र उद्योग के वेतन आयोग ने तीन वर्ष तक कार्य करने के बाद भी अपने कार्य को समाप्त नहीं

किया। और न ही अध्यावधि हितलाभ (**Interim Relief**) देने की घोषणा की, हालांकि मजदूरों की ओर से कई बार आवाज उठाई गई। इस प्रकार वेतन आयोग से न्याय प्राप्ति की सभी आशाएं समाप्त हो गई हैं।

उद्योग की स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद भारतीय मजदूर संघ का यह अखिल भारतीय अधिवेशन भारत सरकार से मांग करता है कि वस्त्र उद्योग के मजदूरों की समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे। सरकार ऐसे पग उठाए जिससे उद्योग के सभी वर्ग अर्थात् हाथ करघा, विद्युत् करघा में उन्नति हो और अधिक से अधिक मजदूरों को इस उद्योग में धंधा मिले। साथ ही साधारण जनता को उचित दामों पर कपड़ा उपलब्ध रहे।

भारतीय मजदूर संघ के अधिवेशन का यह मत है कि उद्योग का मजदूरीकरण किया जाना चाहिए अर्थात् मजदूरों को लाभ और व्यवस्था में भागीदार बनाया जाना चाहिए। इस दिशा में सरकार को वस्त्र उद्योग निगम स्थापित करना चाहिए ताकि मिल्स बन्द न हों। निगम या सरकार द्वारा नियंत्रण में ली गई मिलों को मजदूर कानूनों से छूट नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार से नियंत्रण में ली गई मिलों को यथार्थ रूप से मजदूरों के हवाले करनी चाहिए। साथ में समुचित धन और प्रशिक्षित व्यक्तियों को भी इस मजदूर नियंत्रित उद्योगों में देना चाहिए।

योजना पूर्वक उद्योगों का दिवाला निकालने की पद्धति को निर्मूल करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार सभी प्रकार के संबंधित प्रतिनिधियों को लेकर ऐसा कानून बनाए जिससे कि वस्त्र उद्योग के मालिकों के भी समाजविरोधी कृत्यों के कारण उन पर मुकदमा चलाया जा सके।

सरकार कपास नीति में सुधार करे और उचित पग उठाए ताकि देश की कपास अधिक मात्रा में देश में ही खतम हो और उद्योग को बल मिले।

अंत में सभा मांग करती है कि सरकार एक राष्ट्रीय टैक्सटाइल आयोग स्थापित करे जिसमें मजदूर, मालिक, सरकार तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हों और वह आयोग उद्योग के लिए नीति निर्धारित करे।

प्रस्तावक:— किशोर देशपांडे
समर्थक:— हंसदेवसिंह गौतम

रेल कर्मचारियों सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा उप प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार द्वारा प्रसारित वेतन वृद्धि कारक मुद्रा स्फीति का विरोध करते हुये देश की दुर्भाग्यपूर्ण वर्तमान आर्थिक स्थिति का मुख्य कारण, केन्द्र तथा प्रदेश की सरकारों द्वारा लगातार २० वर्षों की त्रुटिपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा अबाध ऋण लेने की नीति मानती है। आज आर्थिक शक्तियों का संतुलन, जिससे अबाध अर्थ विकास हो और मूल्य रेखा स्थिर हो सके, करने में असफल हो जाने पर तथा अपने दोषों और असफलताओं पर निर्लज्जतापूर्ण पर्दा डालने के प्रयास में भारत सरकार की इस घोषणा से कि मूल्यवृद्धि का कारण समय-समय पर की गई कर्मचारियों की वेतनवृद्धि है, कर्मचारियों का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया है।

प्रतिनिधि सभा ने वित्त मंत्री के इस मंतव्य पर कि वेतन स्थिरता द्वारा मूल्य नियत्रित किया जा सकता है को स्वीकार योग्य बताते हुए कहा कि साधारण रूप से ही देखा जाय तो ज्ञात होगा कि पिछले छः महीनों में मूल्य सूचकांक २० अंकों से अधिक चढ़ चुके हैं जबकि इस अवधि में न तो वेतन वृद्धि हुई और न ही मंहगाई भत्ते में वृद्धि। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वित्त मत्री ने सरकारी कर्मचारियों को सब प्रकार की अनियमितताओं व क्लेशों के लिये दोषी ठहराया जबकि उन्हें सरकारी स्तर पर होने वाले व्यर्थ के खर्चे को रोकने के लिए और जखीरेबाजों, मुनाफाखोरों, काला बाजार करने वालों, टैक्स चोरों तथा काला धन

व उससे उत्पन्न होने वाले अनेक कुपरिणामों के विरुद्ध कदम उठाने चाहिये थे। यह अविवेकपूर्ण है कि सरकार तथा वित्तमंत्री वर्तमान अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए पूंजीपतियों को उत्साहित करने के लिए अनेक उपायों को रख रहे हैं जबकि अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की ओर से वे सहजभाव से उदासीन हो रहे हैं। सरकार द्वारा इस बात को भुलाया जा रहा है कि कर्मचारियों के अन्दर निरुत्साह तथा असंतोष होने से शासनतंत्र की योग्यता पर प्रभाव पड़ेगा जिससे कि देश का बहुसूत्रीय विकास अवरुद्ध हो जायगा।

भारत सरकार अपनी लगातार २० साल की निरर्थक नीतियों के फलस्वरूप अपने कर्मचारियों के लिए वास्तविक वेतन स्थिर करने में असफल होने के कारण ऐसे विलम्ब के मार्ग अपना रही है जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके। दास कमीशन फारमूला का स्थगन तथा गजेन्द्र गडकर कमीशन की सिफारिशों को क्रियान्वित न करना कर्मचारियों के इस सन्देह की पुष्टि करता है कि सरकार गम्भीरता तथा ईमानदारी के साथ कर्मचारियों के वेतन व मँहगाई भत्ते की समस्याओं का समुचित हल निकालना नहीं चाहती।

कटे पर नमक छिड़कने के लिये सरकार ने अनेक बेबुनियादी बचत नीतियों की आड़ में कर्मचारियों की छटनी के लिये बहाना निकाल लिया है और कार्यकारिणी बोर्ड इस खतरनाक रवैये को स्थगित करने के लिये आग्रह करता है।

अतएव भारतीय मजदूर संघ की प्रतिनिधि सभा की यह माँग है कि भारत सरकार अविलम्ब मूल्य सूचकांक वृद्धि को लेते हुये कर्मचारियों को अब तक शत प्रतिशत निष्प्रभावीकरण करे और रेल कर्मचारियों के लिये एक स्थायी वेतन बोर्ड की नियुक्ति करे जो वास्तविक वेतन के पुनर्निर्धारण का कार्य करे।

यदि भारत हरकार समय की माँग की ओर ध्यान नहीं देती है तो भारतीय मजदूर संघ की यह प्रतिनिधि सभा समस्त कर्मचारियों का

आह्वान करती है कि ११ सितम्बर १९६७ को एक दिवसीय हड़ताल में अपने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भाइयों का साथ दें और अपने से सम्बद्ध सभी संघों से भी आह्वान करती है कि ४ सितम्बर १९६७ को वे समस्त रेलवे क्षेत्रों में, पिकेटिंग, अनशन तथा जुलूस आदि के कार्यक्रमों को व्यवस्थित करें।

वेतन नीति पर प्रस्ताव

(१) भारतीय मजदूर संघ की प्रतिनिधि सभा की यह प्रथम बैठक समस्त कर्मचारियों एवं उनके संगठनों तथा सरकार तथा नियोजकों का ध्यान मजदूरों के लिये एक ऐसी गतिमान राष्ट्रीय वेतन नीति निर्धारण व संचालन करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहती है, जो कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का आश्वासन तथा उनको अपने ही श्रम के फल में भागीदार बनने के मौलिक अधिकार की स्वीकृति दे सके।

(२) प्रतिनिधि सभा का यह निश्चित मत है कि सरकारी प्रशासन के जिम्मेदार नेताओं द्वारा कही गई वेतन जाम व मंहगाई भत्ते को रोककर भुगतान आदि करने सम्बन्धी बातें, त्रुटिपूर्ण मंत्रणा के कारण हैं, जिससे राष्ट्र के मनोबलको धक्का लगाता है। यह बात सबके मन में घर कर गई है कि यह सब कुछ सरकार की अयोग्यता के कारण है। सरकार अपने द्वारा उच्च स्तर पर होने वाले सार्वजनिक धन का अपव्यय तथा पूंजीपतियों एवं मुनाफाखोरों के द्वारा की जाने वाली खुल्लम खुल्ला लूट पर रोक लगा सकने में सर्वथा असमर्थ रही है। यह बात लोगों के मन से अब निकालना असम्भव सा हो गया है।

(३) बीस वर्ष की आजादी के बाद भी देश का श्रमिक जीवन निर्वाह योग्य अनिवार्य वेतन स्तर के लिये संघर्ष कर रहा है—जिस पर भी उनके असली वेतन में निरन्तर कटौती होती जा रही है। जिसका मुख्य कारण सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों में प्रशासन की

असफलता है। प्रशासन को न तो सामाजिक एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों की भावना की जानकारी है और न ही उसे अपने घोषित उद्देश्यों का पता है। इसीलिये देश के श्रमिक वर्ग को इस प्रकार के प्रशासन से सन्तुष्ट होने का परामर्श भी नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार के प्रशासन के परिणामों तथा भुगतान क्षमता सम्बन्धी धारणा को देखते हुये किसी प्रकार की सामुहिक सौदेबाजी करने का अर्थ यह है कि हम भविष्य में श्रमिक वर्ग को असुरक्षित तथा अयोग्य हाथों में सौंप रहे हैं। अतः भविष्य की वेतन नीति तो अग्रप्रेरक (Pushing) होनी ही चाहिए। जो कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति एवं प्रयत्न के लिये विवश कर सके। यह तब तक के लिये बहुत आवश्यक है जब तक कि उद्योगों के श्रमिकीकरण की बात सच नहीं हो जाती तथा श्रमिक वर्ग उत्पादन का एक पराश्रित कारण नहीं बना रह जाता, वरन वह उद्योगपति के स्तर तक उठकर स्वयं ही उद्योग का स्वामी बन जाता है।

(४) वर्तमान सामूहिक सौदेबाजी की पद्धति में दो बड़े दोष हैं—जिनमें प्रथम सौदेबाजी पुराने परिणामों द्वारा प्राप्त प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर की जाती है। श्रमिकों के पास इन परिणामों को प्रभावित करने अथवा आकड़ों की जांच करने का कोई साधन नहीं है परिणामतः वे वेतन बढ़ोत्तरी सम्बन्धी अपनी किसी मांग के मनवाने के सम्बन्ध में ऐसे कारणों से नियंत्रित हैं जो कि उनके अधिकार के बाहर हैं। दूसरे सौदेबाजी औद्योगिक अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के केवल एक भाग के लिये की जाती है और वह भी पूर्व निश्चयानुसार श्रेणीशः ढांचे में। इसके दो परिणाम होते हैं—प्रथम तो यह कि इसके कारण श्रमिक को बढ़ते हुए सम्पूर्ण वेतन-देयक (Wage-Bill) के रूप में उद्योग में श्रमिकों की बढ़ती हुई आनुपातिक साझेदारी निश्चित रूप से नहीं प्राप्त होती है। दूसरा यह कि—मजदूर संगठनों को उनके अनुसार उस अवसर से बंचित कर दिया जाता है जिसके द्वारा वे अपने कार्य के वास्तविक स्वरूप तथा उसके अध्ययन कृत

मूल्यांकन के अनुकूल वैज्ञानिक वेतन वैषम्य [Scientific wage differentials] पर आधारित सामाजिक न्याय अथवा सामाजिक व्यवस्था सम्बन्धी अपने किसी भी विचार को व्यवहार रूप दे सकें। बाद का दोष तो इतना व्यापक है कि इसके द्वारा विभिन्न ऐसे कार्यों, जो कि वास्तव में प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, के लिए एक नाम ढूंढने में अनेक वेतन बोर्डों के कार्य में गत्यावरोध उत्पन्न हुआ है।

(५) अन्य सब बातों से अधिक ये ही वे कारण हैं जिनसे मजदूर संगठनों में राजनीतिक तत्वों को बढ़ावा मिला तथा जिसके कारण श्रमिक संगठनों को समाजनिष्ठ आर्थिक संस्था बनने में बाधा पहुंचती है।

(६) सौदेबाजी के क्रम में से इन कारणों को निकाल बाहर करने तथा वेतन नीति के भावात्मक उन्नयन की दृष्टि से आवश्यक है कि वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ मार्ग दर्शक घटनाओं का प्रारम्भ हो।

(७) इस प्रकार कानून बन जाना चाहिये कि भारत के किसी भी मजदूर का असली वेतन कभी भी नीचे आने नहीं दिया जायगा। यदि किसी समय अर्थ के किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में इस प्रकार के उपाय को न्यायपूर्ण सिद्ध करने की सभी जिम्मेवारी नियोजक पर थोपनी चाहिये। और उस स्थिति में भी इस समझौते (Contraction) की अवधि तथा परिस्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के आधार पर अपनी मांग सम्बन्धी पुनर्मांग को यूनियनों की मर्जी पर छोड़ देना चाहिये। असली वेतन में होने वाली वर्तमान अधोगति (Drift) के क्रम को उलट देने के लिये वह न्यूनतम बचाव कार्यक्रम (defensive programme) है।

(८) राष्ट्रीय प्रगति के हित में एक कदम और आगे जाने की आवश्यकता है तथा प्रत्येक उद्योग पर कानून द्वारा उसकी प्रगति की न्यूनतम गति सीमा निर्धारित करनी है। यह कार्य सम्मानित सामूहिक सौदेबाजी में समझौते द्वारा हो सकती है जिसके द्वारा एक निश्चित

अवधि एक से तीन वर्ष के भीतर असली वेतन में एक निश्चित दर से वृद्धि करने के लिये उद्योग को वचनबद्ध किया जा सके। औद्योगिक सम्बन्धों के प्रत्येक पक्ष को यह बात भली भाँति समझ लेनी चाहिये कि प्रत्येक उद्योग की प्रत्येक भुगतान करने वाली इकाई (Paying Unit) का एक निश्चित एवं व्यवहारिक वेतन-ढांचा (wage Plan) हो जो कि कार्य में सार्थकता एवं विश्वास वादिता भर सके तथा जो देश के प्रत्येक मजदूर की गृहस्थी में क्रमिक एवं व्यवस्थित विकास ला सके। इस प्रकार की सुस्पष्ट एवं विस्तृत नीति के अतिरिक्त अन्य किसी भी चीज का तात्पर्य है कि अंधकार एवं निरुपयोगिता की वर्तमान स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहे अथवा उससे भी बिगड़ी हुई स्थिति को प्राप्त हो जाय।

(९) उपर्युक्त पद्धति पर सौदेबाजी का यह क्रम मजदूर आन्दोलन तथा श्रम न्यायपालिका दोनों में ही एक यांत्रिक पक्ष (Tecnnical wing) जोड़ने से और भी उपयोगी हो सकता है। वास्तव में श्रम सम्बन्धी विवादों के निपटारे के हेतु किसी तृतीय पक्ष (Third party) के लिए नहीं के बराबर स्थान है और विशेषत: वेतन जैसे अत्याधिक नाजुक [Sensitive] मसलों में तृतीय पक्ष का समझौता पारस्परिक लेन देन जो कि परिवर्तित प्रशासन के लाभों को श्रमिक वर्ग के लाभ में उत्तरोत्तर बढ़ौत्तरी में सहायक हो सकता हो, के लिए कोई स्थान नहीं रखता। फिर भी, चूंकि ऐतिहासिक (क्रमिक) विकास के अग के रूप में श्रम न्यायाधिकरण का भी कुछ स्थान है, यह आवश्यक है कि विभिन्न वेतन-निर्धारक-अधिकारीगण अपने कार्य के प्रकार में यांत्रिक मौलिकता [Technical Orientation] दें। कम से कम चीजें जिन्हें प्रगति के गति-शास्त्र में जोड़ने की आवश्यकता है, वे निम्न हैं :—

[अ] प्रत्येक उद्योग तथा उद्योग के प्रत्येक संस्थान में तुरन्त ही एक ऐसा वेतन-देयक (Wagebill) पेश होना चाहिए जो कि उस उद्योग की सर्वाधिक आर्थिक क्षमता का द्योतक हो। संपूर्ण वेतन देयक इस यांत्रिक (Technical) क्षमता के बराबर होना चाहिए।

(ब) प्रत्येक उद्योग तथा संस्थान के लिए अलग अलग इस सम्पूर्ण वेतनदेयक (wage bill) तथा आय और काम के अन्य नगों (items) के पारस्परिक सम्बन्ध को निश्चित किया जाय, जो कि वेतन बढ़ोत्तरी के प्रत्येक आगामी अवसर पर श्रमिकों के हित में बदला जाय। केवल ऐसी स्थिति में ही श्रमिकों को विज्ञान तथा संगठन व तरीकों में सुधार का अधिकाधिक लाभ मिल सकता है।

(स) इसी प्रकार की पद्धति से अन्तर इकाई तुलना इकाइयों की आर्थिक क्षमता निश्चित करने का साधन प्रदान करती हैं और तुलनात्मक कम वेतन देने वाली इकाइयों को आर्थिक वेतन देनेवाली इकाइयों के स्तर तक लाने का मार्ग प्रदर्शित करती हैं। वर्तमान क्षेत्रयुत उद्योगशः सूत्र सामान्य अंक गणित पर आधारित है और इस कारण इस प्रकार की तुलना के अच्छे भाग को खो देती है। इसलिये यह सूत्र प्रगति के स्थान पर सड़ान्ध एवं ह्रास का कारण बनता हैं। अतः इसके स्थान पर एक यांत्रिक परिभाषा (Technical definition) दी जानी चाहिये।

(द) न्यूनतम वेतन सम्बन्धी कानून में भी उसी प्रकार की बदल की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए पारिवारिक रहन सहन की दस वर्षीय जांच सुविधा जनक होगा। वर्तमान समय में इस प्रकार के सर्वेक्षणों का उपयोग जीवन निर्देशांक अथवा उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक की रचना के लिये किया जाता है। सर्वेक्षण के इस उपयोग को जारी रखने के साथ ही इसका मौलिक लाभ मजदूरों के लिऐ एक नीति निर्धारित करने में भी है, क्योंकि केवल इन सर्वेक्षणों के द्वारा ही मजदूरों के रहने सहने के तौर तरीके का सही माने में पता लगता है। इन सर्वेक्षणों का उपयोग करके तथा न्यूनतम वेतन की मौलिक अंगों के सिद्धान्त के ऊपर न्यूनतम वेतन के एक सर्वकश मानदण्ड को प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में बाद वाले सिद्धान्त को केवल मौखिक सद्भावना प्रदान की जाती है और ऐसे नियम बनते हैं जोकि वर्तमान परिस्थिति को

बनाये रखते हैं। यह भी सड़ांध तथा निरन्तर ह्रास की प्रवृत्ति का द्योतक है। व्यवसायशः तथा आयशः किए गये सिद्धान्तों पर आधारित होने चाहिए। उदाहरणार्थ– असली वेतन की रक्षा तथा इस [असली वेतन] के भौतिक स्वरूप में निश्चित बढ़ोत्तरी की योजना इस आधार पर न्यूनतम वेतन की रचना के लिये धन की मात्रा निश्चित करने में सुविधा प्रदान करने के लिये अविलम्ब आंकड़े लिये जाने चाहिए।

(१०) यह भी उचित होगा कि इन सर्वेक्षणों के परिणामों को नये रूप में ढाला जाय। कर्मचारियों तथा शारीरिक श्रम न करने वाले कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति का १९५८–१९५९ की जांच के परिणामों को विभिन्न अधिकारियों द्वारा अभी भी प्रकाशित किया जा रहा है। मंहगाई भत्ते के हिसाब के लिये अभी भी १९४९ के आधार वर्ष के आंकड़ा–सूची को दर्शक रेखा के रूप में लिया जा रहा है। सर्वेक्षण के परिणामों को आंकड़ा सूची (Index) के अतिरिक्त भी किसी अन्य उपयोग में लाने की बात अभी भी अव्यावहारिक विचार बना हुआ है। अन्य भी अनेक कमियां हैं। वेतन नीति को दिशा दे सकने योग्य आंकड़ों की बहुत कमी है। इस परिस्थिति में वर्तमान आँकड़ों का अधिकाधिक उपयोग होना चाहिए तथा इनका एकत्रीकरण और भी विश्वसनीय बनाया जाना चाहिये। इस समय १९६८–६९ का सर्वेक्षण दरवाज़े पर खड़ा है। भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों को चाहिये कि वे देश के मज़दूर आन्दोलन को विश्वास में लेकर सर्वेक्षण के कार्य-क्षेत्र एवं प्रकार तथा निरीक्षण तथा विश्लेषण तथा प्रकाशन की पद्धति निश्चित करें। हिस्सेदारी के बिना मजदूर आन्दोलन के पास विश्वसनीय आंकड़ों का कोई साधन नहीं रह सकेगा और उसे विवश होकर दिग्भ्रान्त तरीके अपनाने होंगे।

(११) उत्पादकता के सम्बन्ध में आज जोरदार चर्चा है। मजदूर आन्दोलन ने इस बहस में अत्यधिक रुचि दिखलाई है परन्तु वेतन भोगी मजदूर के वर्तमान जीवन का यह एक दुःखद सत्य है कि चाहे वह कितना

ही अधिक उत्पादन करता हो अथवा उत्पादकता के कार्यक्रम में सहायता देता हो, फिर भी उसके पास कोई निश्चित साधन या विश्वास नहीं है कि वह अपने ही परिश्रम के फल में से अपना हक पा सके। सर्वप्रथम तो उसे अधिक अच्छे परिणाम के लिये भी संघर्ष करना पड़ता है, तत्पश्चात उसे उस परिणाम में अपना हिस्सा निश्चित करने के लिये संघर्ष करना पड़ता है। यह एक निश्चित दासता है जिसे बदल देना आवश्यक है। श्रमिक को उसके वेतन की मांग से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को प्राप्त एवं निश्चित करने की पहुंच तथा कानून के समझौतों पर आधारित उत्पादकता लाभों में हिस्सेदारी का अधिकार होना चाहिए।

(१२) एक सार्थक, व्यावहारिक एवं गतिमान वेतन नीति को जन्म देने के लिये यह मुख्य परिवर्तन जो आवश्यक है—पारिवारिक जीवन के मान्य आर्थिक सर्वेक्षण की एक विश्वसनीय संख्याशास्त्रीय सलाह, इन सर्वेक्षणों का जीवन निर्देशांक के निर्धारण के अतिरिक्त धन के रूप में प्रदत्त वेतन के वास्तविक स्वरूप के आधार पर न्यूनतम वेतन की रचना, उद्योग की अधिकतम आर्थिक क्षमता पर उद्योग के वेतन-देयक की निश्चिति, उत्पादन के विभिन्न अंगों पर होने वाले उद्योग के लाभ के वितरण में श्रमिकों के हिस्से में कृत्रिम बढ़ोत्तरी, यांत्रिक तुलनाओं (Technical comparison) के परिणामों को प्रशासन पर थोप कर इकाइयों की कुशलता को निकाल बाहर करने, निश्चित आंकड़ों के आधार पर उत्पादकता के नामों के विनियोग का अधिकार तथा अन्तिम न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था तथा सामाजिक न्याय के परिणामों के अनुसार प्राप्त की गई वेतन विभिन्नताओं तथा सम्पूर्ण वेतन देयक के आधार पर आगामी सौदेबाजी के प्रारम्भ के द्वारा सामूहिक सौदेबाजी के क्रम में बदल करना ही, वे क्रियाशील कारण हैं जोकि अपेक्षित परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार वेतन सम्बन्धी सम्पूर्ण विचारधारा में ही एक गतियुक्त बदल किया जाय तथा वेतन की गतिविधियों को ही देशवासियों की आर्थिक प्रगति को नापने के लिये देश के बैरोमीटर के रूप में मान्यता प्रदान की जाय।

औद्योगिक अशान्ति के कारण व निदान पर प्रस्ताव

अ० भा० प्रतिनिधि सभा का यह स्पष्ट मत है कि सरकार मजदूरों के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन में न केवल असफल ही रही है अपितु पूँजीपतियों के आवश्यक दबाव के सामने घुटने टेककर उसने विश्वास-घात भी किया है। बोनस आयोग जैसे कुशल आयोगों की अनुशंसाओं में नियोजकों के हित में व्यापक संशोधन करने, गजेन्द्र गडकर आयोग की अनुशंसाओं को स्वयं क्रियान्वित न करने तथा वेतन जाम आदि की ऊँची घोषणायें करने के कारण कर्मचारियों के मन में एक सन्देह तथा निराशा का भाव व्याप्त है। दोष पूर्ण नियोजन, घाटे की अर्थ व्यवस्था तथा रुपये के अवमूल्यन की सरकार की अविवेक पूर्ण नीति के कारण जहां एक ओर मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती गई है वहीं नौकरी की दशा में गिरावट आई है। विभिन्न उद्योगों में नौकरी का विकल्प दिये बिना व्यापक पैमाने पर छटनी करने तथा बन्दी करने की प्रथा आज दैनिक कार्यवाही हो गई है। इस सम्बन्ध में इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग तथा चीनी उद्योग विशेष उल्लेखनीय हैं। यह देख कर भी अत्यत निराशा होती है कि सरकार ने वर्तमान श्रम-कानूनों की ठीक ढंग से लागू करवाने के अपने कर्तव्यों का भी पालन नहीं किया है तथा अपराधी नियोजकों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी नहीं कर रही है। राजनीतिक उद्देश्यों को दृष्टिगत रखकर उचित विवादों को अभिनिर्णय के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तथा व्यक्तिगत विवादों को ही प्रायः अभिनिर्णय के लिये भेजा जाता है। संराधन तथा अभिनिर्णय के कार्यवाहियों में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। इन सब घटनाओं के कारण आज मजदूरों का विश्वास सरकार पर से हिल सा गया है।

२. सरकार की मजदूर विरोधी नीति से प्रोत्साहित होकर स्वार्थी नियोजक अधिक से अधिक लाभ कमाने का दृष्टिकोण सामने रखकर आज मजदूरों को अत्यन्त निम्न वेतन देकर निर्दयतापूर्वक स्वार्थ सिद्धि का साधन उन्हें बनाया है जिसमें उन्हें जीवन की न्यूनतम आवश्यक-

ताओं-खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधायें युद्धोत्तर पैमाने पर भी प्राप्त नहीं होती हैं।

वेतन को मूल्य सूचकांक के साथ न जोड़े जाने के कारण वेतन स्तर भुखमरी के बराबर पहुंच गया है। अनेक उद्योगपतियों ने निर्लज्जतापूर्वक वेतन आयोगों की अनुशंसाओं को लागू करना अस्वीकार कर दिया है, औद्योगिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों को लागू करने में असफल रहे हैं तथा मजदूरों के वेतन से काटे गये भविष्यनिधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कटौती को जमा करने में भी असावधानी बरती है। इतना ही नहीं उन्होंने गलत मजदूर विरोधी नीतियों का भी सहारा लिया है तथा कानूनी नियमों से बचने के लिये थोड़ी थोड़ी अवधि का अन्तर देकर अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति तथा निरतर रहने वाले कार्य के लिए ठेकेदारी प्रथा पर मजदूरों की नियुक्ति की नीति भी अपनायी है। बोनस अधिनियम के अन्तर्गत दी गई ८ मास की अवधि के भीतर बोनस नहीं दिया जाता है तथा बचत की राशि का सही हिसाब दिये बिना ही ४ प्रतिशत की ही न्यूनतम दर से दिया जाता है। कर्मचारियों की सेवायें दुर्भावनापूर्ण ढंग से समाप्त की जाती है तथा गतिशील मजदूर कार्यकर्त्ताओं को बदले की भावना से शिकार बनाया जाता है।

३. इस प्रकार की परिस्थिति के कारण अराष्ट्रवादी तथा राजनैतिक दृष्टिकोण वाले मजदूर नेताओं को मजदूरों तथा उनकी समस्याओं को साधन बनाकर अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि का एक सुयोग मिल गया है। राष्ट्रवादी कर्मचारियों ने इस बात को भली भांति समझ लिया है कि इस प्रकार के मजदूरों के तथाकथित नेता मजदूरों की समस्याओं को हल करने का बहाना लेकर वास्तव में मजदूरो की सेवा नहीं करते हैं अपितु अपने स्वार्थों की सिद्धि करते हैं। वह मजदूरो को अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि का साधन बनाकर उनमें दूसरे देशों की ओर देखने की भावना का प्रसार करते हैं।

४. सरकार की विश्वासघातक मजदूर विरोधी नीति, नियोजकों के अमानवीय व्यवहार तथा ऐसे तथाकथित मजदूर नेताओं से निराश होकर जितनी श्रद्धा देश से बाहर है तथा जो राजनीतिक स्वार्थों से निहित हैं, मजदूर आज असंतुष्ट और निराश हो गया है तथा परिस्थिति अत्यन्त भयावह और विस्फोटक हो गई है।

५. सारी श्रमस्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण करने के पश्चात इस सम्मेलन का यह मत है कि सरकार निम्नलिखित पग बिना किसी विलम्ब के तथा परिस्थिति नियंत्रण से बाहर होने के पूर्व ही उठावे:-

क- अपराधी नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाय जिसमें त्वरित चालान भी सम्मिलित किया जाय तथा उनको नियंत्रण में रखने के लिए पूरे प्रभाव का उपयोग किया जाय।

ख- पंचवर्षीय योजनाओं में प्रभावी परिवर्तन किया जाय तथा सभी नागरिकों को काम दिलाया जाय।

ग- बिना दूसरा विकल्प दिये कर्मचारियों को नौकरी से अलग न किये जाने की नीति अपनाई जाय।

घ-बेकारी-बीमा की एक उचित योजना तैयार की जाय।

च- वेतन जाम की बात बन्द की जाय तथा इसके स्थान पर मूल्यों को गिराने के लिये पग उठाये जांय।

छ- वेतन को मूल्य सूचकांक से संलग्न किया जाय।

ज- वर्तमान श्रम कानूनों में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय ताकि कर्मचारियों की शिकायतों का निराकरण हो सके तथा उनका स्तर उन्नत हो सके।

६. यह सम्मेलन स्वस्थ ट्रेड यूनियन आन्दोलन को बढ़ावा देने तथा भारतीय मजदूर संघ के कार्य को और अधिक प्रगति प्रदान करने का अपने कार्यकर्त्ताओं से आह्वान करता है जिससे सरकार पर इस हेतु उचित कदम उठाये जाने के लिये दबाव पड़ सके जो कि आज तक इस मामले में असफल रही है। सम्मेलन समूचे राष्ट्र में अपने कार्यकर्त्ताओं को इस प्रकार का आन्दोलन छेड़ने के योग्य भारतीय मजदूर संघ बन सके, इसके लिये उन्हें आह्वान करता है। आगे उक्त सभी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अराजनीतिक व राष्ट्रवादी श्रमिक संगठनों का एक सशक्त मोर्चा बनाने के साहस रखने का भी यह सम्मेलन अपने कार्यकर्त्ताओं से आह्वान करता है।

अ० भा० कार्यसमिति का निश्चय

देशव्यापी छटनी विरोधी अभियान

भारतीय मजदूर संघ की नवनिर्वाचित अ० भा० कार्य समिति ने आगामी जनवरी १९६८ में देशव्यापी छटनी विरोधी अभियान चलाने का निश्चय करते हुये इस प्रश्न पर देश के सभी मजदूर संघों को साथ में लेकर संयुक्त मोर्चा गठित करने का निर्णय लिया तथा इस सम्बन्ध में एक दिन 'देशव्यापी छटनी विरोधी दिवस' भी मनाने का तय किया। ज्ञातव्य है कि अभिनवीकरण, यंत्रीकरण, विद्युतीकरण एवं डीजलीकरण आदि के नाम पर निजी व सरकारी–दोनों प्रकार के संस्थानों में मजदूरों की बड़े पैमाने पर छटनी की जा रही है। भारतीय मजदूर संघ ने 'बिना समकक्ष विकल्प दिये किसी की भी छटनी न होने देने' के लिये यह देशव्यापी आन्दोलन लेने का निर्णय किया है। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि काम की व्यवस्था करने के उपरान्त ही किसी कर्मचारी की छटनी होनी चाहिये।

महत्वपूर्ण व मौलिक उद्योगों में कार्य बढ़ाने का निर्णय

अ० भा० कार्यसमिति ने दूसरी बैठक में यह तय किया है कि समूचे देश में महत्वपूर्ण व मौलिक उद्योगों के कर्मचारियों के बीच भारतीय मजदूर संघ अपना कार्य द्रुतगति से बढ़ावेगा। प्रारम्भ में उसने प्रतिरक्षा विद्युत एवं खदान उद्योगों में कार्य बढ़ाने और उसके पश्चात अन्यान्य कर्मचारियों से सम्बन्धित संस्थानों में कार्यारम्भ करने का निर्णय किया।

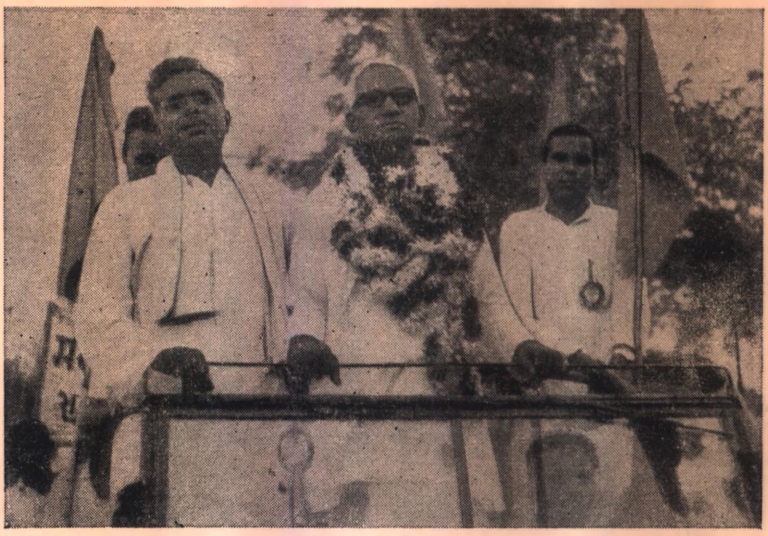

जुलूस में अभिनन्दन स्वीकार करते हुये नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री दादा साहेब काम्बले साथ में उत्तर प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री श्री वरमेश्वर पाण्डेय

जुलूस का एक भाग जिसका नेतृत्व कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष श्री एस० कृष्णैया कर रहे हैं

आवास, व भोजन व अधिवेशन स्थल

देश के कोने कोने से आये हुये प्रतिनिधियों के लिये जलपान व भोजन की व्यवस्था सामूहिक रूप से पहाड़गंज स्थित बारातघर में की गई थी तथा उनके आवास की व्यवस्था बिरला मन्दिर, जैन धर्मशाला, बारात घर, अग्रवाल धर्मशाला, परमानन्द धर्मशाला, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, रेगड़पुरा अग्रवाल धर्मशाला एवं नाईवाला धर्मशाला आदि स्थानों पर थी।

अधिवेशन स्थल कम्युनिटी हाल को विधिवत सजाते हुये मंच के पीछे अंगूठा अंकित ध्वज और सामने श्री विश्वकर्मा भगवान की फोटो सुशोभित की गयी थी।

जुलूस

खुले अधिवेशन के पूर्व नई दिल्ली स्टेशन से लगभग ५ हजार मजदूरों का जुलूस पहाड़गंज व सब्जी मंडी होता हुआ कम्युनिटी हाल पहुंचा। हर एक प्रदेश की वाहिनी केसरिया झंडे लेकर अपने नाम पट्ट के पीछे एक के बाद एक चार पंक्तियों में नारे लगाते हुये चल रहीं थी तथा बीच में खुली जीप पर खड़े हुये नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री दादा साहेब काम्बले सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे।

प्रमुख अभ्यागतों की उपस्थिति

अधिवेशन में संसद सदस्य सर्व श्री जगन्नाथराव जोशी, हुकुमचन्द्र कछवाया, नारायण स्वरूप शर्मा, श्री चन्द्र गोयल एवं रामसिंह आदि महानुभाव उपस्थित थे।

—०:○:०—

खुला अधिवेशन

स्वागताध्यक्ष श्री वी० पी० जोशी का भाषण

आदरणीय श्री काम्बले जी, ठेंगड़ी जी एवं प्रतिनिधि बन्धुओ,

हम दिल्ली के रहने वाले अपना परम सौभाग्य समझते हैं, १५-८-४७ को भारत राजनैतिक रूप से आजाद हुआ। किन्तु आजादी की क्या कल्पना है यह प्रश्न है ? अंग्रेजों का हट जाना पर्याप्त नहीं है। हर क्षेत्र में भारतीयता का प्रवेश जरूरी है। ४७ से लेकर आज तक एक महान कार्य एक महान व्यक्ति सरदार पटेल ने किया था। भाषा का क्षेत्र बाकी है शिक्षा भारतीय नहीं है हमारे संविधान की पृष्ठिभूमि एंग्लो-अमेरिकन है। देश की रक्षा में भी हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। मजदूरों का क्षेत्र भी ऐसा ही है। कुछ लोग सोचते थे कि हमें मार्क्स और लेनिन की ओर देखना पड़ेगा। भा० म० संघ का प्रण है कि वह इस क्षेत्र से गुलामी के चिन्ह दूर करके रहेगा। हमारे शस्त्र और हमारी परंपरा के अनुसार मजदूर क्षेत्र का गठन होगा इसी कल्पना को लेकर भा० म० संघ १९५५ में बना।

बच्चे के विकास के साथ ही साथ लोगों की जानकारी का उसका दायरा बढ़ता है। म० संघ की किशोरावस्था है १२ वर्ष के बच्चे की आवाज सारे देश तक कृष्ण की भांति फैल गई है। लोग डरते हैं कि Delhi Cloth Mills जहां १५००० मजदूर हैं Bonus बढ़ाने के लिये हड़ताल का नारा भा० म० संघ ने दिया उस समय लोग हमपर हंसते थे और पुराने लोग घर घर जाकर लोगों को हड़ताल से विमुख रखने के लिये कहते थे। १८ लाख Bonus के लिये मालिकों ने भी स्वीकृति दे दी, पर वे सभी मजदूर Red और Deep Red को छोड़ BMS की आवाज के साथ इकट्ठा हुए।

शक्ति स्वयंमेव कार्य करती है। BMS में विभिन्न प्रदेशों में शक्ति है। आज हमारा भारतीय स्वरूप प्रकट हुआ है। जहां बहुत से लोग हैं Unions हैं वहीं आप लोगों का इकट्ठा आ जाना बहुत महत्व रखता है। हमारा कहना है अन्यों की दूकान पर China और Masco की चीजें बिकती हैं। हमारी ही भारतीय श्रम संस्था है। हमारा सारा कुछ भारतीय है। भारत की मिट्टी का यहां सामान है। हम भारतीयता की बहुत पुरानी नींव के आधार पर खड़े हैं। शेष अभी हाल की नींव पर खड़े हैं हमारी नींव हजारों वर्ष पुरानी है। Red और Deep Red झंडे वाले राजनीतिक ओहदे के लिये काम करते हैं हमारी विशेषता है कि हमारे साथ राजनीतिक लक्ष्य नहीं। मजदूर की व मानवता का रक्षण हमारा लक्ष्य है। मनुष्य सर्वोत्कृष्ट प्राणी है, वह नीचता का जीवन नहीं बिता सकता सारे उपलब्ध नियोजकों को देने पड़ेंगे। नियोजक नहीं दे सकता तो सरकार को देना होगा। यह भा० म० संघ की मानवता के विकास की मांग है।

नकसलबाड़ी में क्या हुआ है। वहाँ के किसानों की कुछ मांगे हैं– वे पूर्ण होनी चाहिये। लेकिन ये कम्युनिष्ट उनकी मांगों का सहारा लेकर अशान्ति फैलाने का यत्न कर रहे हैं हम यह बर्दास्त नहीं कर सकते हैं। हमारा राजनीतिक लक्ष्य नहीं है। भा० म० संघ ऐसी विचारधारा भरना चाहता है कि यह अपनी माँग पूरी कराते समय देश की हानि बर्दास्त नहीं करेगा। राष्ट्रहित का ध्यान रखते हुए हम मजदूर हित का संरक्षण करेंगे और आजीवन रखेंगे। Political Exploitation हम नहीं होने देंगे। रूस या चीन का प्रभुत्व हम इस क्षेत्र में कभी भी बर्दास्त नहीं करेंगे अभी जुलूस में अपनी २ भाषा में लोग म० संघ का जयघोष कर रहे थे इस विश्वास के साथ कि आज से मजदूरों का Exploitation नही होगा।

एक समस्या है कि वेतन कितना और किस प्रकार मिलना चाहिये। इस विषय में हमने नई कल्पना दी है। औद्योगिक अशान्ति के नाम पर

भी एक प्रस्ताव आया है इसके लिये कोई न कोई तदवीर होनी चाहिये। हमने एक दृष्टिकोण रखा है। इस क्षेत्र का भी पूर्णरूपेण भारतीयकरण होगा। इस विश्वास के साथ हमने इसको रूप दिया है आपके इस नगर में आने से इतना महत्वपूर्ण कार्य हुआ है यह हमारे लिये अत्यन्त गौरव का विषय है हमारा यह सौभाग्य है कि हमें दादा साहेब काम्बले जी जैसे नायक मिले हैं। जिनका अपने यौवनकाल से ही श्रमिकों के हित में लड़ने की बहुत बड़ी विशेषता रही है। ऐसे कर्णधार एवं सुयोग्य नाविकों को पाकर अवश्य ही भा० म० सघ की नाव शान से पार होगी।

——०——

श्री विनयकुमार मुखर्जी का भाषण

अध्यक्ष जी तथा देश के उत्पादन कर्ता भाइयो,

भारतीय मजदूर संघ जो देश की समस्त आकांक्षाओं का प्रतीक है; उसकी नीव को अत्यन्त सुदृढ़ करने के लिये भारत के कोने कोने से आप यहां मजदूर प्रतिनिधि आये हैं– यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। यदि भारत उन्नति करेगा तो आप की उन्नति होगी। भारतीय मजदूर संघ का स्पष्ट मत है कि मजदूर दौलत पैदा कर रहा है और वह जो भी दौलत पैदा कर रहा है सब आप का है। इसलिए उस दौलत में आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। जो रुपया पैसा है उसका विधिवत लेखा जोखा लेने का जिस प्रकार अधिकार है ठीक उसी प्रकार हमें भी इस सरकार से पूरा वृत्त लेने का अधिकार है।

आज सरकार को जनता की भावना जानकर ही धन का व्यय करना चाहिये। आपको मंहगाई भत्ता चाहिए। Devaluation के कारण मंहगाई भत्ता भी ठीक करके देना चाहिए। आपकी तनख्वाह जो बढ़ेगी उससे रुपये का समुचित बटवारा होगा। उससे Inflation नहीं होगा।

हमें मिनिस्टर से मिलकर व मैनेजर से मिलकर अपनी मांगों की पूर्ति की आशा नहीं करना चाहिए। बल्कि वे तभी कुछ देंगे, जब आप उसको मजबूर कर देंगे।

आपकी यूनियन के अधिकारियों के पास मिल मालिक आयें और अपनी समस्याओं के हल का सही निराकरण करें। किन्तु स्थिति उल्टी है। आप स्वयं उसके पास जाते हैं। होना तो यह चाहिये कि आप वित्त मंत्री को आदेश दें; निर्देश दें तथा उसे व्यवस्था तथा ढंग बतायें कि वह किस प्रकार से मंहगाई भत्ता आदि की समस्या हल करें। आप मालिक हैं अतः आपको ऐसा निर्देश देने का पूर्ण अधिकार है।

भारतीय मजदूर संघ का ध्येय भारत को उठाना है। आप यह रास्ता अपनायें तभी भारत उन्नति के मार्ग पर जायेगा। आपने जो मन्दिर अपने श्रम से बनाया है, उसे अपना पूर्ण सहयोग दें उससे आप का भला होगा तथा तभी हमारा मन्दिर भी पूरा होगा। शोषण बन्द हो उसके लिए आपके प्रयास की आवश्यकता है। इसीलिये जिनके हाथों में आपने काम की बागडोर दिया है उनको भी आप का पूरा सहयोग चाहिए। आपके सहयोग से ही उनकी ६४ की आयु १०४ वर्ष तक बढ़ सकेंगी। आप इन्हें दीर्घजीवी बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें।

श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी का भाषण

आप लोग 'काम के घंटे निश्चित हों' यह मांग करते हैं, पर यहां भारतीय मजदूर संघ स्वयं आपसे अधिक काम ले रहा है। अधिवेशन में दोनों ही दिन निरन्तर १२-१२ घंटे काम में लगाये रखा। यह तो परस्पर विपरीत बात है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आपके धैर्य्य की परीक्षा के लिये ही ऐसी योजना की गयी है।

यहां २००० प्रतिनिधि आए हैं, पर उनका आभार प्रदर्शित करने में मुझे कठिनाई है। क्योंकि आप सभी भारतीय मजदूर संघ के लिये आये हैं और भारतीय मजदूर संघ स्वयं आपका है। हां, आपने जो भारतीय मजदूर संघ के लिये प्रेम प्रदर्शित किया है, उसका मैं आदर कर सकता हूं। इन्द्र भगवान ने भी दोनों दिन वर्षा को रोक कर रखा, अतएव उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। दिल्ली के कार्यकर्त्ता लगन के साथ जुटे हैं मैं उनकी लगन की सराहना करता हूं।

अपने कार्य का परिचय तो उसके नाम से ही हो जाता है। 'भारतीय' शब्द इसके स्वरूप का, 'मजदूर' इसके क्षेत्र का एवं 'संघ' इसके संवैधानिक संगठन का द्योतक है। अर्थात् भारतीय मजदूर संघ नाम ही इसका परिचय है।

हम मौलिक अधिकारों में 'काम का अधिकार' (Right to work) जोड़ना चाहते हैं। 'काम और रोटी' की गारण्टी नहीं मिल सकती तो बेकारी भत्ता बीमा योजना (Unemployment Insurance) लागू होनी चाहिये।

पंचवर्षीय योजना श्रम प्रधान बने तथा अन्यों पर आश्रित न रहकर स्वावलम्बी रहे। अर्द्ध बेकारों की संख्या कम होनी चाहिये। उत्पादन की प्रक्रियाओं का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये खेतों पर काम न रहने पर वे अर्द्ध बेकार घर पर छोटे छोटे उद्योग चलाकर काम पावें। मजदूरों को

आकस्मिक (Casual) और अस्थायी बनाकर रखने की स्थिति समाप्त किया जाय तथा ठीकेदारी प्रथा की समाप्ति हो। काम से निकाल बाहर करने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष छटनी करने की स्थिति का हम विरोध करेंगे। आटोमेशन के नाम पर छटनी चल रही है। कर्जा बढ़ रहा है। अमेरिका के पैसे के कुचक्र में हमारा देश फंसता जा रहा है। हमारा कहना है कि किसी भी कर्मचारी की तब तक छटनी न हो जब तक कि उसी स्तर का और उसी नियमित सेवा की अवधि से सम्बन्धित दूसरा काम न मिल जाय। १९६६ और १९६७ छटनी के वर्ष हैं। छटनी विरोधी मोर्चे में हम पहल करेंगे। पदोन्नति में भी मनमानी चल रही है। भारत सरकार आदर्श मालिक की भूमिका का निर्वाह नहीं कर रही है। भारत सरकार मालिक होकर स्वयं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को न्याय नहीं दे रही है। नाक दबाने से ही इसका मुँह खुलेगा, तभी टाटा बिड़ला भी दुरुस्त हो सकेंगे। १९४७ में ही रोटी, कपड़ा व मकान देने की बात कही गयी। कानून अधूरे हैं और सदोष हैं। मामूली मामूली बातों की पूर्ति के लिये भी सरकार तय्यार नहीं है। बोनस का झगड़ा सामने है। वेतन जब तक जीवन वेतन के स्तर का नहीं हो जाता तब तक बोनस विलम्बित वेतन है उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिये। उद्योगों के वेतनक्रम में विभिन्नता है इतना ही नहीं एक उद्योग में भी समानता नहीं है। 'समान काम के लिये समान वेतन' देने की बात सर्वोच्च न्यायालय ने भी कही है। वेतन की शास्त्रीय पद्धति बनानी चाहिये। पारिवारिक जांच के आधार पर न्यूनतम वेतन तय हो। अकुशल कर्मचारियों का पहले निश्चित करके ऊपर के श्रेणी का निर्धारण किया जाय। कार्य विश्लेषण के आधार पर विभिन्न काम की विभिन्न श्रेणी बने समूचे वेतन को (महंगाई भत्ता सहित) जीवन निर्देशांक से सम्बद्ध करना चाहिये।

गजेन्द्रगडकर आयोग की रिपोर्ट पर हमने असहमति प्रकट की क्योंकि आयोग ने-- (१) वेतन का सिद्धान्त नहीं बनाया है, (२) कीमतें बढ़ने पर और मंहगाई के दुष्चक्र के विषय में कुछ नहीं कहा और (३) अधिक वेतन देने से कीमतें नहीं बढ़तीं वरन् उसके बढ़ने के अन्य

कारण हैं— (क) घाटे का बजट, (ख) स्वाभाविक अभाव और (ग) मुनाफा खोरी।

सही रास्ता यह है कि 'राष्ट्रीय वेतन नीति' क्या हो—तय करना चाहिए। इस प्रश्न पर सर्वंकष विचार होना चाहिये। चौथी पंचवर्षीय योजना में आय का विचार हो, मूल्यनीति के निर्धारण के लिये गोलमेज कान्फ्रेन्स बुलाया जाय जिसमें आर्थिक हित सम्बन्ध के सभी पक्ष सम्मिलित हों। प्रारम्भ में विरोध व मतभेद हो सकता है पर विचारों के लेन देन से जो योजना बनेगी वही जनयोजना कही जा सकेगी। योजना के प्रति तभी उत्साह रहेगा।

हमारा किसी 'वाद' पर विश्वास नहीं है। इज्म तो एक ही कालखण्ड की परिस्थितियों के अनुसार उनके हल का एक मार्ग हो सकता है, पर वह सनातन नहीं है। प्रतिभा का अन्त नहीं है, हम उसे संकुचित दायरे में बांधकर कुन्ठित नहीं होने दे सकते।

जहां तक उद्योगों के स्वामित्व की बात है वहां दो ही विकल्प— या तो टाटा बिड़ला के हाथ में अथवा राष्ट्रीकरण के नाम पर सरकार के हाथ में लोग समझते हैं। पर मैं ऐसा नहीं मानता। स्वामित्व के लिये भी बहुत से मार्ग हैं। हर देश का विकास अपने अपने ऐतिहासिक विकास क्रम के अनुसार होता है; वैसे ही वहां की परिस्थितियों के अनुकूल आर्थिक रचना भी हुआ करती है। जैसा कि स्केन्डीनेविया, डेनमार्क आदि देशों में वहां की विशेष परिस्थिति के अनुरूप उद्योगों का निर्माण व विकास प्रमुख रूप से सरकारी सिद्धान्त के आधार पर हुआ है। हमें भारत की आर्थिक रचना में सह स्वामित्व (Co-partnership) को स्थान देना होगा; पैसे के साथ पसीने को भी शेयर के रूप में परिणत करना होगा। जब तक हम उद्योगों में प्रत्यक्ष काम करने वाले श्रमिकों की उनके उद्योगों का स्वामी नहीं बनने देते तब तक उनके मन में अपने उद्योगों के प्रति आत्मीयता का अनुभव नहीं होगा। इस लिये हमने श्रमिकीकरण एक उचित विकल्प माना है।

श्रमिकीकरण दूसरे रूप में भी आ सकता है। वह है सहकारी सिद्धांत के आधार पर श्रमिकों के हाथो में उनके उद्योगों का स्वामित्व सौंपना (Labour co-operativisation)।

जहां उद्योग के स्वरूप विशेष के कारण उसका स्वामित्व केवल मजदूरों के हाथों में न देते हुये और भी अन्यान्य सम्बन्धित पक्षों को स्वामित्व में प्रतिनिधित्व देना उचित हो, वहां स्वामित्व की रचना के विषय में जब कभी कुछ भी निर्णय करना होगा तो श्रमिकों का मत निर्णायक होना चाहिये। मजदूरों के साथ उद्योग से सम्बन्धित सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट पर रखने वाला 'स्वायत्त निगम' यह श्रमिकीकरण का तीसरा रूप है।

कई उद्योग ऐसे भी हो सकते हैं, जिनका इस प्रकार श्रमिकीकरण करना उचित नहीं होगा। केवल राष्ट्रीयकरण का विरोध करने हेतु नहीं अपितु इस राष्ट्र की निजी प्रकृति के अनुसार विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिये यह मौलिक विचार लेकर भारतीय मजदूर सघ सामने आया है।

हमारी जड़ें भारत भूमि में हैं, राष्ट्रीयता के आधार पर हम मजदूर आन्दोलन चलाना चाहते हैं। दुनियां के मजदूरो एक हो (Workers of the world unite) नहीं अपितु मजदूरों दुनिया को एक करो (Workers unite the world) हमारा नारा है। वास्तविक राष्ट्रवादी संगठन आज खड़ा हो रहा है। १२ साल में हम अपना सन्तोषजनक प्रारम्भ मानते हैं। इसका आखल भारतीय स्वरूप एक ऐतिहासिक तथ्य है। यह मजदूर क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने में सिद्ध होगा। यही एक मात्र (Labour Organisatiorn) है जो भारतीयता का बोध कराता है। यह हमारे लिये जहां गौरव का विषय है वहां उत्तरदायित्व का आह्वान भी है। भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्र की अस्मिताओं के सहारे खड़ा श्रम संगठन है, जिसके सहभागी बनने का महान श्रेय हमें मिला है। काफी समय हो गया है। यह भगवान का कार्य है, राष्ट्र का कार्य है, और हम सबका कार्य है। इस कार्य में हम सभी जुट जांय यही प्रार्थना है।